"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 571] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2015— पौष 1, शक 1937

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7–19/2015/12.— खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67 की धारा 9 (ख), 15(4) एवं 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

नियम

अध्याय–एक

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.**– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 कहलायेंगे।

   (2) इन नियमों का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

   (3) ये नियम, 12 जनवरी, 2015 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. **परिभाषाएं.**– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67);

   (ख) **"प्रभावित क्षेत्र"** से अभिप्रेत है जिले के भीतर खदान अथवा खदानो के समूह से खनन अथवा खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र, जैसा कि कलेक्टर द्वारा अधिसूचित हो और खदान अथवा खदानो के समूह से खनन अथवा खनन से संबंधित संक्रियाओं से जिले के बाहर प्रभावित क्षेत्र जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित हो;

(ग) **"लेखा परीक्षक"** से अभिप्रेत है शासी परिषद द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक/ सनदी लेखापाल और इसमें राज्य के महालेखाकार अथवा व्यवस्थापक द्वारा नामांकित अन्य लेखा परीक्षक भी सम्मिलित है;

(घ) **"कलेक्टर"** का वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) के अंतर्गत उसके लिये समनुदेशित है;

(ङ) **"अंशदान"** से अभिप्रेत है अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा खनिजों के संबंध में यथा विहित रायल्टी का वह प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा गौण खनिजों के संबंध में यथा विहित रायल्टी का वह प्रतिशत जो कि खनिजों के मामलो में खनि पट्टा अथवा संयुक्त अनुज्ञप्ति (पूर्वेक्षण सह खनि पट्टाधारक) अथवा गौण खनिज के मामलों में खनन पट्टा अथवा उत्खनन पट्टा अथवा उत्खनन अनुज्ञापत्रधारकों से न्यास में एकत्र किया जाने वाला अंशदान;

(च) **"अंशदान निधि"** से अभिप्रेत है अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा खनिज के संबंध में यथा विहित रायल्टी का वह प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा गौण खनिज के संबंध में यथा विहित रायल्टी का वह प्रतिशत जो कि खनिजों के मामलो में खनि पट्टा अथवा संयुक्त अनुज्ञप्ति (पूर्वेक्षण सह खनि पट्टाधारक) अथवा गौण खनिज के मामलों में खनन पट्टा अथवा उत्खनन पट्टा अथवा उत्खनन अनुज्ञापत्रधारकों से अंशदान के माध्यम से एकत्र की जाने वाली निधि अथवा न्यास द्वारा प्राप्त कोई अन्य निधि;

(छ) **"प्ररूप"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ज) **"शासी परिषद"** से अभिप्रेत है जिला खनिज संस्थान न्यास के समस्त न्यासी;

(झ) **"ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम सभा"** का वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) में कमशः उनके लिये समनुदेशित है;

(ञ) **"पट्टा क्षेत्र"** से अभिप्रेत है किसी खनिज और/अथवा गौण खनिज हेतु पूर्वेक्षण अथवा खनन संक्रियाओं के प्रयोजन के लिये स्वीकृत क्षेत्र;

(ट) **"खनन"** से अभिप्रेत है किसी खनिज अथवा गौण खनिज को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली संक्रियाएं;

(ठ) **"प्रबंधकारणी समिति"** से अभिप्रेत है व्यवस्थापक द्वारा न्यास के कार्यों के प्रबंधन के उद्देश्य से बनाई गयी समिति;

(ड) **"राज्य स्तरीय निगरानी समिति"** से अभिप्रेत है समस्त जिलों के न्यासो के समग्र प्रबंधन के लिए नीति की व्यापक रूपरेखा निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति;

(ढ) **"व्यवस्थापक"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा किया जायेगा और इसका मुख्यालय नया रायपुर में होगा;

(ण) **"राज्य सरकार"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन का खनिज साधन विभाग;

(त) **"न्यास"** से अभिप्रेत है व्यवस्थापक द्वारा स्थापित जिला खनिज संस्थान न्यास, (जिले का नाम);

(थ) **"न्यास विलेख"** से अभिप्रेत है न्यासियों के पक्ष में प्ररूप--क में व्यवस्थापक द्वारा निष्पादित विलेख;

(द) **"न्यासी/न्यासियों"** से अभिप्रेत है न्यास के प्रबंधन के उद्देश्य से व्यवस्थापक द्वारा नियुक्त व्यक्ति;

(ध) **"वर्ष"** से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष जो 01 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त अथवा अवधि का वह भाग जो 31 मार्च को समाप्त हो।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियों जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है।

अध्याय-दो

जिला खनिज संस्थान न्यास

3. **जिला खनिज संस्थान न्यास.**- (1) छत्तीसगढ़ के प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला खनिज संस्थान न्यास गठित किया जायेगा जिसे उक्त जिले के जिला खनिज संस्थान न्यास के नाम से जाना जायेगा।

(2) न्यास, एक शाश्वत निकाय होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी।

(3) व्यवस्थापक जिला खनिज संस्थान न्यास के न्यासियों को अधिसूचित करेगा।

(4) न्यास, एक गैर लाभ अर्जित करने वाली संस्था होगी।

(5) न्यास, 12 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आ गया समझा जायेगा।

4. **न्यास का नाम एवं अवस्थिति.–** न्यास को जिला खनिज संस्थान न्यास (जिले का नाम) के नाम से जाना जाएगा एवं इसका कार्यालय, जिले के मुख्यालय में अवस्थित होगा।

5. **न्यास के उद्देश्य.–** जिला खनिज संस्थान न्यास का उद्देश्य खनन अथवा खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्ति एवं क्षेत्र के हित एवं लाभ के लिए ऐसी रीति से कार्य करना होगा जैसा कि इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

6. **प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों की पहचान.–**

(1) प्रभावित क्षेत्र में सम्मिलित है–

(क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र– जहां पर प्रत्यक्ष रूप से खनन से संबंधित संक्रियाएं जैसे कि खुदाई, खनन, विस्फोटन, प्रसंस्करण और अपशिष्ट निपटान (अधिभार ढेरो, अवशिष्ट पोखर, परिवहन गलियारा आदि) अवस्थित हो। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैः–

(एक) ग्राम एवं ग्राम पंचायत जिसके अंतर्गत खदान स्थित हो और संचालित हो। इस तरह का खनन क्षेत्र पड़ोस के ग्राम, ब्लॉक अथवा राज्य के जिले तक विस्तारित किया जा सकता है।

(दो) ऐसे ग्रामों, जिसमें खदान से विस्थापित परिवारों को परियोजना प्राधिकारियों द्वारा बसाया/पुनर्वास किया गया हो।

(तीन) ऐसे ग्रामों, जो कि खनन क्षेत्र पर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और जिस परियोजना क्षेत्र पर उपभोग करने का तथा पारंपरिक अधिकारों को रखते हो, उदाहरण स्वरूप चराई के लिए, लघु वनोपज का संग्रहण आदि को प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र के रूप में विचार किया जाना चाहिये।

(ख) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र – ऐसे क्षेत्र जहां पर स्थानीय आबादी खनन से संबंधित संक्रियाओं के परिणामों के कारण आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से प्रतिकूल प्रभावित हुई हो। जल, मिट्टी और वायु के गुणवत्ता में गिरावट, जल धारा प्रवाह में कमी, और भू–जल में गिरावट, खनन संक्रियाओं के कारण भीड़ एवं प्रदूषण, खनिज परिवहन के कारण विद्यमान अधोसंरचना और संसाधनों पर बोझ की वृद्धि होना, खनन के प्रमुख नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं।

(ग) खदान एवं खदान के समूह से ऐसी परिधि के अंदर का क्षेत्र, जैसा कि (जिले के भीतर) कलेक्टर द्वारा तथा (जिले के बाहर) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, चाहे उक्त क्षेत्र संबंधित जिले अथवा समीपवर्ती जिले/जिलों के भीतर आता हो।

(घ) उपरोक्त के आधार पर न्यास द्वारा खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की सूची तैयार की जाएगी और अद्यतन सूची संधारित की जायेगी।

(2) 'प्रभावित व्यक्ति'' में सम्मिलित हैः–

(क) प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले/कार्यरत व्यक्ति तथा निम्नलिखित को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति में शामिल किया जायेगाः–

(एक) 'प्रभावित परिवार' जैसा कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30) की धारा 3(ग) में परिभाषित है।

(दो) 'विस्थापित परिवार' जैसा कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30) की धारा 3(ट) में परिभाषित है।

(तीन) संबंधित ग्राम सभा द्वारा सम्यक् रूप से पहचाने गये अन्य कोई।

(ख) खनन से प्रभावित व्यक्तियों में उन व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जायेगा, जिनका खनन किये जाने वाले भूमि पर वैधानिक और व्यावसायिक अधिकार हो और वें भी, जिनका उपभोग करने का और पारंपरिक अधिकार हो।

(ग) प्रभावित परिवारों की पहचान यथा संभव ग्राम सभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के परामर्श से किया जायेगा।

(घ) इस प्रकार प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की न्यास द्वारा सूची तैयार की जायेगी और अद्यतन रूप से संधारित की जायेगी।

7. **नियुक्ति एवं घोषणा पत्र.–** (1) न्यास विलेख के द्वारा गठित जिला खनिज संस्थान न्यास के न्यासियों के रूप में व्यक्तियों, जैसा कि नियम 10 में उल्लिखित है, की नियुक्ति व्यवस्थापक द्वारा की जाएगी और न्यास विलेख में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तो पर की गयी नियुक्ति को न्यासी स्वीकार करेगा।

(2) शासकीय पदनाम द्वारा नियुक्त किये गये न्यासी, पद एवं पदनाम पर रहने की अवधि तक न्यासी बने रहेंगे और जैसे ही उक्त पद जिस पर वे इस प्रकार नियुक्त अर्थात् पदेन थे, की समाप्ति होते ही न्यासी नही समझे जाएंगे और कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी को उक्त शासकीय पदनाम प्राप्त होने के दिनांक से उनके स्थान पर न्यासी नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

(3) नामांकित किये जाने वाले न्यासियों की नियुक्ति की अवधि, उनके न्यासी नियुक्त किये जाने की तिथि से तीन वर्ष के लिए प्रभावशील होगी और उसके उपरांत व्यवस्थापक अगले अवधि के लिए उनकी नियुक्ति का नवीनीकरण कर सकेगा अथवा उनके स्थान में अन्य किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकेगाः

परन्तु इस तरह से नामांकित न्यासी की अवधि, प्रत्येक तीन वर्ष की दो अवधि से अधिक की नहीं होगी।

(4) व्यवस्थापक, किसी भी समय किसी भी संवर्ग में और ऐसी अवधि के लिए जो कि व्यवस्थापक द्वारा ठीक समझा जाये, न्यासियों की संख्या में वृद्धि कर सकेगा।

(5) व्यवस्थापक, स्वविवेक से किसी भी समय किसी भी न्यासी को हटा सकेगा और किसी अन्य व्यक्ति को न्यासी के रूप में नियुक्त कर सकेगा। व्यवस्थापक द्वारा इस प्रकार हटाये गये न्यासी, हटाये जाने की तिथि से न्यासी नहीं रहेंगे।

(6) उसमें (न्यास विलेख में) घोषित अधिकार एवं प्रावधानों एवं उससे अंतर्विष्ट विषय के अधीन न्यासियों का न्यास निधि पर आधिपत्य रहेगा और न्यासियों को न्यास की समयावधि के दौरान किसी भी समय किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी अन्य न्यास के प्रावधानों से व्यक्तियों अथवा अन्यथा इसी उद्देश्य से धारण करने वाले अथवा न्यासियों की ओर से न्यास निधि की अभिवृद्धि के लिए संपत्ति स्वीकार करने का अधिकार होगा।

अध्याय–तीन
न्यास का गठन

8. **न्यास का प्रबंधन.–** न्यास का प्रबंधन, शासी परिषद् में निहित होगा जिसमें न्यास के समस्त न्यासी सम्मिलित होंगे। तथापि, न्यास के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन की व्यवस्था प्रबंधकारिणी समिति द्वारा की जायेगी। तथापि, व्यवस्थापक, प्रबंधकारिणी समिति की विरचना को किसी भी समय परिवर्तन करने का निर्णय ले सकेगा। शासी परिषद् एवं प्रबंधकारिणी समिति की शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि इन नियमों में अन्तर्विष्ट है।

9. **न्यास के न्यासी.–** न्यास के कार्यों को नियमन करने के लिए, व्यवस्थापक द्वारा न्यासियों की नियुक्ति की जायेगी।

10. **शासी परिषद्.–** ऐसे जनप्रतिधियों, जो व्यवस्थापक द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि, जो कि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, के लिये नियुक्त किये जायेंगे के सिवाय पदेन न्यासधारिता धारण करने वाले राज्य सरकार के विभागों के अधिकारीगण, न्यासी होंगे। नामांकित सदस्यों को दो कालावधि से अधिक के लिए पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। खनिज रियायतधारियों में से अधिकतम तीन प्रतिनिधियों को विनिर्दिष्ट समयावधि, जो कि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, के लिये कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया जायेगा। न्यासी निम्नानुसार होंगेः–

स. क्र.	न्यासी के पद के नाम/विवरण	न्यास में पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	संबंधित जिले के कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2	तीन जनप्रतिनिधि (व्यवस्थापक द्वारा नामांकित)	सदस्य
3	जिले के खनिज रियायतधारियों में से मात्र तीन प्रतिनिधि (जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित)	सदस्य
4	प्रभावित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के कोई दो सरपंच (कलेक्टर द्वारा नामांकित)	सदस्य
5	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	पदेन सदस्य सचिव
6	पुलिस अधीक्षक	पदेन सदस्य
7	वन मंडलाधिकारी	पदेन सदस्य

(1)	(2)	(3)
8	उप संचालक (खनिज प्रशासन)/खनि अधिकारी	पदेन सदस्य
9	उप संचालक पंचायत	पदेन सदस्य
10	अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	पदेन सदस्य
11	जिला शिक्षा अधिकारी	पदेन सदस्य
12	सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	पदेन सदस्य
13	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सदस्य
14	उप संचालक कृषि	पदेन सदस्य
15	उप/सहायक संचालक, उद्यानिकी	पदेन सदस्य
16	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग	पदेन सदस्य
17	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा	पदेन सदस्य
18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य
19	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	पदेन सदस्य
20	जिला रोजगार अधिकारी	पदेन सदस्य
21	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	पदेन सदस्य

11. **न्यासियों के निर्णय.**– (1) शासी परिषद् की बैठक में न्यासियों द्वारा समस्त निर्णय लिए जायेंगे और शासी परिषद की प्रत्येक बैठक, न्यास की बैठक समझी जायेगी।

(2) शासी परिषद् के समस्त निर्णय, उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतदान से लिए जायेंगे। मत बराबर होने की स्थिति में, बैठक के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(3) जब तक कि व्यवस्थापक द्वारा सहमति नहीं दी जायेगी, न्यासियों द्वारा न्यास विलेख के किसी भाग को संशोधित नहीं किया जायेगा।

(4) व्यवस्थापक द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों, दिशा निर्देशों इत्यादि के अनुसार ही न्यासियों, शासी परिषद और प्रबंधकारिणी समिति द्वारा कार्य किये जायेंगे।

12. **शासी परिषद् के अधिकार एवं कृत्य.**– शासी परिषद्, जिसमें समस्त न्यासी शामिल है, निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होंगे–

(1) न्यास के संचालन के लिए रूपरेखा (प्रक्रिया) तैयार करना और अनुमोदन करना एवं समय–समय पर इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।

(2) न्यास के वार्षिक कार्य योजना एवं वार्षिक बजट, जो प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए, का अनुमोदन करना। शासी परिषद द्वारा वर्ष के प्रारंभ होने के कम से कम एक माह पूर्व वार्षिक कार्य योजना तैयार करना होगा और अनुमोदन करना होगा। वार्षिक कार्य योजना में अनन्तिम प्रावधानों के साथ योजनाओं एवं परियोजनाओं की सूची अन्तर्विष्ट होगी:

परन्तु यदि किसी कारण से, चाहे जो हो, शासी परिषद वार्षिक योजना और वार्षिक बजट विनिर्दिष्ट समयावधि में तैयार और अनुमोदन प्रदान नहीं कर सकता हो तो न्यास के वार्षिक कार्य योजना और बजट को अध्यक्ष, तैयार करेगा और उसे अनुमोदन करने का अधिकार होगा। इस प्रकार से तैयार किये गये बजट को शासी परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से तैयार और अनुमोदित किया गया समझा जायेगा:

परन्तु यह और कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना तैयार करते समय पूर्व के दायित्वों एवं ऋणों को भी समग्र रूप से आंकलन किया जाना होगा। वित्तीय अनुशासन बनाये रखने और योजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए पूर्व के दायित्वों एवं ऋणों और प्रस्तावित नई योजनाओं के योग, अगले वित्तीय वर्ष के अनुमानित अंतर्वाह (अनुमानित प्राप्तियों) से किसी भी स्थिति में तीन गुना से अधिक नहीं होना चाहिये।

(3) न्यास निधि से ग्राम सभा में निष्पादित किये गये विकास योजनाओं/कार्यों का सामाजिक ऑडिट करवाना।

(4) उपलब्ध न्यास निधि से ऐसे अन्य व्यय जो कि न्यास के उद्देश्यों से अलग हो, को व्यवस्थापक द्वारा यथा विहित तरीके से अनुमोदन करना।

(5) प्रबंधकारिणी समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन करना।

(6) विगत वर्ष के समाप्ति के 90 दिवस के भीतर न्यास के वार्षिक प्रतिवेदन और अंकेक्षित लेखा का अनुमोदन करना।

(7) न्यास के संचालन हेतु, व्यवस्थापक द्वारा विनिश्चित अनुसार, प्रतिनियुक्ति, संविदा अथवा आउटसोर्सिंग के आधर पर अधिकारियों की नियुक्तियों का अनुसमर्थन करना।

13. **शासी परिषद् की बैठकें.**– (1) शासी परिषद् की बैठक, जब भी आवश्यक हो, होगी किन्तु प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार होगी।

(2) अध्यक्ष की इच्छानुसार शासी परिषद की बैठक आहूत की जाएगी।

(3) शासी परिषद् के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से बैठक का कोरम होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है, तो बैठक आधे घंटे के लिये स्थगित की जायेगी और उसी स्थान पर उसी दिन पुनः आहूत की जायेगी जिसके लिये कोरम की शर्त लागू नहीं होगी।

14. **प्रबंधकारिणी समिति.**– न्यास के कार्यों का प्रबंधन, दैनंदिनी आधार पर प्रबंधकारिणी समिति द्वारा की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

स. क्र.	पद के नाम	न्यास में पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	संबंधित जिले के कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	पदेन सदस्य सचिव
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सदस्य
4.	वन मण्डलाधिकारी	पदेन सदस्य
5.	उप संचालक, पंचायत	पदेन सदस्य
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सदस्य
7.	अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्टिब्यूशन कंपनी लिमिटेड	पदेन सदस्य
8.	उप संचालक (खनिज प्रशासन)/खनि अधिकारी	पदेन सदस्य
9.	उप संचालक कृषि/उद्यानिकी	पदेन सदस्य
10.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	पदेन सदस्य
11.	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	पदेन सदस्य
12.	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा	पदेन सदस्य
13.	जिला शिक्षा अधिकारी	पदेन सदस्य
14.	सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	पदेन सदस्य
15.	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य
16.	जिला रोजगार अधिकारी	पदेन सदस्य
17.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	पदेन सदस्य

15. **प्रबंधकारिणी समिति की शक्तियां और कृत्य.**– प्रबंधकारिणी समिति–

(1) न्यास के हितों के संरक्षण हेतु अपने दायित्वों का निर्वहन समुचित कर्मठता के साथ करेगी;

(2) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एवं व्यवस्थापक द्वारा निर्धारित रीति से संबंधित खनि पट्टाधारियों से समय पर अंशदान एकत्र करना सुनिश्चित करेगी;

(3) न्यास की गतिविधियों के लिए मास्टर प्लान/विजन डाकूमेंट तैयार करेगी;

(4) जिले के ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, जिला पंचायतों और स्थानीय नगरीय निकायों, शासकीय विभागों और मंडल, निगमों तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार के सार्वजनिक प्रक्षेत्र के उपक्रमों आदि से प्रस्ताव/परियोजनाओं को प्राप्त करेगी। तथापि, प्रबंध कार्यकारिणी समिति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रभावित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं से प्रस्ताव एवं परियोजना प्राप्त कर सकेगी;

(5) न्यास के वार्षिक योजना का समन्वय, संचित तथा विकसित करना और प्रस्तावित योजना और परियोजनाओं के साथ न्यास के वार्षिक योजना और वार्षिक बजट को तैयार करने में सहायता करेगी;

(6) वार्षिक योजना और अनुमोदित स्कीम और परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करेगी और उनका कियान्वयन सुनिश्चित करेगी;

(7) परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करेगी और उसके लिए न्यास निधि उपलब्ध करायेगी और वितरित करेगी;

(8) न्यास निधि का संचालन और उसका अध्यवसायी तरीके से निवेश और न्यास के नाम पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अनुसूचित व्यापारिक बैंक में खाता खोलेगी और उस खाते का संचालन और निवेश करेगी;

(9) न्यास निधि के उपयोग की प्रगति की निगरानी करेगी;

(10) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिवसों के भीतर शासी परिषद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिये, वार्षिक प्रतिवेदन के साथ अंकेक्षित लेखा प्रस्तुत करेगी;

(11) न्यास के कार्यों के संपादन हेतु प्रकिया का निर्धारण एवं अनुमोदन करेगी;

(12) व्यवस्थापक के निर्देशानुसार कर्मचारियों और लेखा परीक्षको की नियुक्ति करेगी तथापि, इन नियुक्तियों का अनुसमर्थन शासी परिषद् से कराया जाना आवश्यक होगा;

(13) वेबसाइट तैयार करेगी और उसका संधारण करेगी जिस पर अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित जानकारी प्रविष्ट की जायेगीः—

(क) न्यास/न्यास के निकाय (यदि कोई हो) के संरचना का विवरण;

(ख) खदानों से प्रभावित क्षेत्र तथा लोगों की सूची;

(ग) पट्टाधारक तथा अन्य से प्राप्त समस्त योगदानों का त्रैमासिक विवरण;

(घ) बैठक की समस्त एजेंडा, मिनट्स तथा न्यास के द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन;

(ङ) वार्षिक योजना एवं बजट, कार्य आदेश, वार्षिक प्रतिवेदन;

(च) चल रहे कार्यों का ऑनलाइन प्रास्थिति, समस्त परियोजनाओं/कार्यक्रमों की क्रियान्वयन की प्रास्थिति/प्रगति, वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये जिसमें कार्य का विवरण, हितग्राहियों की जानकारी, अनुमानित व्यय, क्रियान्वयन अभिकरण का नाम, प्रारंभ एवं समापन की संभावित तिथि, पिछले त्रैमासिक तक की वित्तीय तथा भौतिक प्रगति आदि सम्मिलित है;

(छ) विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत हितग्राहियों की सूची; और

(ज) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 22) के अधीन स्वैच्छिक प्रकटीकरण।

(14) समस्त अन्य कार्य करेगी जो न्यास के सहज संचालन एवं प्रबंध के लिये आवश्यक हो।

16. **प्रबंधकारिणी समिति की बैठकें.**— (1) वित्तीय वर्ष में प्रबंधकारिणी समिति की कम से कम चार बैठकें आहूत की जायेंगी तथा उसे (बैठकें) अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित अनुसार आहूत की जायेगी।

(2) प्रबंधकारिणी समिति के कुल सदस्यों की एक तिहाई सदस्यों से बैठक का कोरम होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है, तो बैठक आधे घंटे के लिये स्थगित की जायेगी तथा उसी स्थान पर उसी दिन पुनः आहूत की जायेगी जिसके लिये कोरम की शर्त लागू नहीं होगी।

अध्याय–चार

राज्य स्तरीय निगरानी समिति

17. **विरचना.**– (1) समस्त जिलों के न्यासों के समग्र प्रबंधन के लिये नीति की व्यापक रूपरेखा निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति होगी।

(2) राज्य स्तरीय निगरानी समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:–

स. क्र.	सदस्यों का विवरण	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	मुख्यमंत्री	पदेन अध्यक्ष
2	वित्त मंत्री	पदेन सदस्य
3	कृषि मंत्री	पदेन सदस्य
4	वन मंत्री	पदेन सदस्य
5	पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री	पदेन सदस्य
6	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री	पदेन सदस्य
7	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री	पदेन सदस्य
8	स्कूल शिक्षा मंत्री	पदेन सदस्य
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री	पदेन सदस्य
10	मुख्य सचिव	पदेन सदस्य
11	सचिव, खनिज साधन विभाग	पदेन सदस्य सचिव

(3) अध्यक्ष की अनुमति से समय समय पर ऐसे सदस्यों को भी समिति के विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा, जिसे अध्यक्ष उचित समझे।

18. **राज्य स्तरीय निगरानी समिति की शक्तियां एवं कृत्य.**– (1) न्यास के उद्देश्य के अनुरूप समस्त जिलों के न्यास के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करेगी।

(2) किसी खदान अथवा खदानों के समूह से अंशदान निधि में अभिदाय राशि का उस खदान अथवा खदानों के समूहों की खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित जिलों में वितरण करेगी।

(3) पोर्टल, जिसमें न्यास द्वारा वार्षिक योजनायें प्रदान की गयी स्वीकृति और अनुमोदन अन्तर्विष्ट है, के माध्यम से ऑनलाईन निगरानी व्यवस्था बनायेगी।

(4) ई–गवर्नेन्स के उपयोग के माध्यम से निगरानी एवं न्यास निधि के व्यय में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।

अध्याय–पांच

अंशदान निधि एवं न्यास निधि का प्रबंधन

19. **अंशदान निधि.**– (1) अंशदान निधि का संधारण न्यास के प्रबंधकारिणी समिति द्वारा किया जायेगा। अंशदान निधि में, मुख्य खनिज के मामलो में खनि पट्टा अथवा संयुक्त अनुज्ञप्ति (पूर्वेक्षण सह खनि पट्टा) धारको अथवा गौण खनिज के मामलों में खनि पट्टा अथवा उत्खनन पट्टा अथवा उत्खनन अनुज्ञापत्र अथवा संयुक्त अनुज्ञप्ति (पूर्वेक्षण सह खनि पट्टा) धारकों से अंशदान के माध्यम से एकत्रित निधि समाविष्ट होगी।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सार्वजनिक कोष को रखने के लिए अनुमोदित एक या अधिक अनुसूचित व्यापारिक बैंक में अंशदान निधि को न्यास के नाम पर ही रखा जायेगा और समस्त खातों का प्रचालन प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष और प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य–सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। न्यास की प्रबंधकारिणी समिति, इस निधि की लेखा पुस्तिका का संधारण करेगी।

20. न्यास निधि.– जिला खनिज संस्थान न्यास की न्यास निधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:–

(1) व्यवस्थापक द्वारा किया गया प्रारम्भिक भुगतान;

(2) व्यवस्थापक अथवा अन्य किसी अभिकरण, संस्था अथवा व्यक्ति से प्राप्त कोई अनुदान, अभिदान अथवा अन्य पूंजीगत सहायता;

(3) राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा यथा खान या खान के समूहों से इन नियमों के नियम 2 (1) (च) में यथा परिभाषित अंशदान निधि का भाग;

(4) निवेश और अन्य जमा और उस पर प्रोद्भूत ब्याज और उससे प्राप्त होने वाली अन्य कोई आय;

(5) न्यास की अन्य समस्त संपत्ति और उससे प्राप्त होने वाली आय अथवा अधिमूल्यन; और

(6) अन्य जिलों के अंशदान निधि से प्राप्त निधि जैसा कि राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा निर्धारित किया जाये।

21. **न्यास निधि का संचालन.–** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे सार्वजनिक निधि को रखने के लिये अनुमोदित एक या अधिक अनुसूचित व्यवसायिक बैंक में न्यास निधि को, न्यास के नाम पर रखा जायेगा और समस्त खातों का प्रचालन प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष और प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य–सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। न्यास की प्रबंधकारिणी समिति इस निधि के लेखा पुस्तिका का संधारण करेगी। यह खाता, अंशदान निधि से पृथक रूप से संधारित की जायेगी।

22. **न्यास निधि से व्यय.–** न्यास के पास उपलब्ध निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जायेगा:–

(1) प्रबंधकारिणी समिति द्वारा तैयार और न्यास के शासी परिषद् द्वारा इस प्रयोजन हेतु अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप खनन अथवा खनन से संबंधित संक्रियाओ से प्रभावित क्षेत्र के समग्र विकास हेतु;

(2) न्यास के पास उपलब्ध निधि का कम से कम 60% को उच्च प्राथमिकता के क्षेत्रो में उपयोजित की जायेगी, जैसे कि:–

(क) **पेयजल आपूर्ति** :– केन्द्रीय शुद्धिकरण प्रणालियों, जल उपचार संयंत्रों, स्थायी/अस्थायी जल वितरण जाल (संरचना) जिसमें स्टैण्ड एलोन पेयजल सुविधा भी सम्मिलित है, जल आपूर्ति के लिये पाईप लाइन डालना।

(ख) **पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय** :– दूषित जल प्रवाह उपचार संयंत्र, क्षेत्र के जलधाराओं, तालाबों, पोखरों, भू–जल, अन्य जल स्त्रोतों के प्रदूषण निवारण, खनन संक्रियाओं एवं ढेरों के कारण होने वाले वायु एवं धूल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, खान जल निकासी प्रणाली, खान प्रदूषण निवारण तकनीकियों और चालू अथवा बंद खदानों के लिये उपाय तथा पर्यावरण अनुकूल एवं सतत् खान विकास हेतु अपेक्षित वायु, जल तथा सतह प्रदूषण नियंत्रण तंत्र।

(ग) **स्वास्थ्य देखभाल** :– प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के निर्माण कराने पर केंद्रित होना चाहिये। स्वास्थ्य सेवाओं अधोसंरचना के निर्माण पर ही जोर नहीं दिया जाना चाहिये अपितु इस तरह की सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक अमले, उपकरण एवं अन्य आपूर्तियों के प्रावधानों पर भी जोर दिया जाना चाहिये। विद्यमान स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना के अभिसरण में अनुपूर्ति के प्रयास किये जाने की सीमा तक खनन से संबंधित बीमारियों और व्याधियों की अपेक्षा करने की आवश्यकता हेतु विशेष अधोसंरचना बनाने हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ के पास उपलब्ध विशेषज्ञता को भी आकृष्ट करना। खनन से प्रभावित व्यक्तियों के स्वास्थ्य सेवाओं के लिये समूह बीमा योजना।

(घ) **शिक्षा** :– शैक्षणिक संस्थाओं और व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, अतिरिक्त कक्षा–कक्षों (क्लास रूम्स), प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला एवं शिल्प कक्ष, प्रसाधन खण्डों, पेयजल प्रावधान, सुदूर क्षेत्रो में विद्यार्थियों/शिक्षकों के लिये होस्टल्स, खेल अधोसंरचना, शिक्षकों/अन्य समर्पित अमले को संलग्न किये जाने, ई–शिक्षा प्राप्ति व्यवस्था, विद्यार्थियों के लिये अन्य परिवहन सुविधायें (बस/वेन/साईकल/रिक्शा आदि) और आहार पोषण से संबंधित कार्यक्रमों।

(ङ.) **कृषि एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियां** :– कृषि एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों और कृषि वानिकी से संबंधित कियाकलापों का विकास। बीज लघु साज–सामान (seed mini kits) के प्रावधान द्वारा कृषकों को सहायता, कृषि संबंधी औजारों और ड्रिप्स इरिगेशन सहित सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं के लिये वित्तीय सहायता, नलकूप और पम्प विद्युतीकरण हेतु वित्तीय सहायता, कृषकों को कृषि से संम्बद्ध कियाकलापों जैसे पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, कृषि वानिकी आदि के लिये सहायता। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का सं. 2) के अंतर्गत वन अधिकार धारकों को इस सहायता की पात्रता होगी।

(च) महिला एवं बाल कल्याण :– प्रसूता और शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण, संक्रमक व्याधियों आदि की समस्याओं के लिये विशेष कार्यक्रम।

(छ) **वृद्ध और निःशक्तजन के कल्याण** :– वृद्ध और निःशक्तजनो के कल्याण के लिये विशेष कार्यक्रम।

(ज) **कौशल विकास एवं रोजगार** :– स्थानीय पात्र व्यक्ति के जीविका समर्थन, आय अर्जन और आर्थिक गतिविधियों के लिये कौशल विकास। परियोजनाओं/कार्यक्रमों में, प्रशिक्षण, कौशल विकास केन्द्रों का विकास, स्वरोजगार कार्यक्रम, स्व सहायता समूहों को सहायता और स्वरोजगार आर्थिक कियाकलापों, नई पद्धति, उद्मशीलता, इनक्युबेशान सेन्टर की सहायता के लिये आगे और पीछे के संयोजन (linkages) के प्रावधान।

(झ) **स्वच्छता** :– कूड़े का एकत्रण, परिवहन और निबटारा, सार्वजनिक स्थलों की सफाई, समुचित जल निकास और मल प्रवाह उपचार संयंत्र हेतु प्रावधान, मल कीचड़ के निबटारे का प्रावधान, शौचालय और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिये प्रावधान।

(3) न्यास निधि के शेष 40% को अन्य प्राथमिकता के क्षेत्रो में उपयोजित की जायेगी जैसे कि –

(क) **भौतिक अधोसंरचना**– आवश्यक भौतिक संरचनाओं जैसे कि सड़को, पुलो, रेलमार्गो, जलमार्गो, विमान पत्तनों, औद्योगिक पार्को/क्लस्टर्स और अन्य औद्योगिक अधोसंरचना आदि उपलब्ध कराने ।

(ख) **सिंचाई**– सिंचाई के विकास, समुचित और उन्नत सिंचाई तकनिकियों को अपनाने के लिये।

(ग) **उर्जा और जल विभाजक विकास**– पारंपरिक विद्युत और उर्जा के अक्षय स्त्रोतों द्वारा घरेलू विद्युतीकरण और विद्युत अद्योसंरचनाओ का सुदृढ़ीकरण, उर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतो (सूक्ष्म जल विद्युत सहित) और वर्षाजल हार्वेस्टिंग सिस्टम का विकास। फलोद्यान, एकीकृत कृषि और आर्थिक वानिकी और जलसंग्रहण क्षेत्र का प्रत्यावर्तन के विकास।

(घ) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्देशित कोई अन्य अद्योसंरचना कार्य।

(4) सीधे वित्तीय पोषण रीति, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रीति के माध्यम से शासन के विभागों, निगमों और मण्डलों के विभिन्न विकास एवं अधोसंरचना से संबंधित परियोजनाओं के लिये;

(5) योग्य मानव संसाधनों जैसे चिकित्सक, नर्सो और शिक्षकों आदि की आवश्यकता पूर्ति/अंतरपूर्ति की व्यवस्था के लिये;

(6) उप–नियम (2) और (3) में वर्णित क्षेत्रों से संबंधित शासन की योजानाओं/कार्यक्रमों की अनुपूर्ति करने के लिये;

(7) न्यास निधि के अंतर्गत संपादित की जाने वाली विभिन्न विकास योजनाओं के बनाने और निगरानी के लिये ग्राम सभाओं की क्षमता विकास के लिये प्रशिक्षण;

(8) वित्तीय वर्ष के दौरान, वास्तव में प्राप्त न्यास निधि के 5% या रूपये एक करोड़, जो भी कम हो, से अनाधिक राशि का व्यय, उस वित्तीय वर्ष के लिये उसके प्रशासकीय अथवा स्थापना के लिये न्यास द्वारा व्यय किया जायेगाः

परन्तु प्रशासकीय अथवा स्थापना व्यय की पूर्ति की उच्चतम सीमा में व्यवस्थापक द्वारा समय समय पर, वृद्धि की जा सकेगी।

(9) वार्षिक प्राप्ति की एक उचित राशि, सतत् आजीविका प्रदान करने के लिये अक्षय निधि के रूप में रखी जायेगी।

23. **निषेधित कार्य.**– राज्य स्तरीय निगरानी समिति, कतिपय कार्य/कार्यों अथवा गतिविधियों को, जो कि न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लाभकारी न हो, निषेधित कर सकेगा।

24. **व्यय का प्रभारित करना.**– न्यास निधि को निम्नलिखित व्यय के लिए प्रभारित करने हेतु न्यासी हकदार होंगे :–

(1) न्यास के संचालन एवं कियान्वयन और उगाही, परिरक्षण अथवा निवेशों में लाभ और न्यास निधि सहित आस्तियों और न्यास के हितों के संरक्षण हेतु सुव्यवस्थित रूप से किये गये समस्त व्यय;

(2) न्यासियों द्वारा अनुदान प्राप्त करने और/या अन्य कोई संसाधन जो कि उपार्जित हो, के लिए किये गये समस्त व्यय (किसी भी अनुबंध अथवा अन्य विलेख के निष्पादन और/या पंजीयन के लिए प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है);

(3) न्यास से संबंधित मामलों में न्यासी द्वारा अथवा के विरूद्ध विधिक कार्यवाही से संबंधित समस्त व्यय, जिसमें व्यवसायिक शुल्क एवं विधिक सलाहकार का परिव्यय शामिल है;

(4) न्यास के संचालन एवं कियान्वयन के लिए किया गया समस्त विधिक और संविधिक व्यय, जिसमें न्याय के मामले से संबंधित भुगतान की गई/भुगतान की जाने योग्य समस्त लेवी, ड्यूटी एवं अन्य प्रभार सम्मिलित है; और

(5) बैठकों के आयोजन तथा अन्य कार्यवाही और योजना बनाने, कियान्वयन, निरीक्षण, समीक्षा और परियोजनाओं को तैयार करने एवं सलाहकारों की सेवाएं लेने, तीसरे पक्ष से निरीक्षण कराने, लेखा परीक्षण और इसी तरह के अन्य प्रासंगिक व्यय के संबंध में किये गये समस्त व्यय।

25. **लेखा और लेखा परीक्षा.–** (1) प्रबंधकारिणी समिति, न्यास के मामलों में सही एवं निष्पक्ष छवि के लिए न्यास निधि से संबंधित लेखा पुस्तिका, दस्तावेजों और अभिलेखों का समुचित संधारण करेगा अथवा करायेगा;

(2) वर्ष की समाप्ति पर न्यास की लेखा का लेखा परीक्षा योग्य लेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा;

(3) न्यास के लेखा परीक्षक की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों की सूची में से शासी परिषद् द्वारा, ऐसे निबंधन एवं शर्तो पर, की जायेगी, जैसा कि शासी परिषद द्वारा विनिश्चित किया जाये;

(4) शासी परिषद् द्वारा लेखा परीक्षकों को हटाया अथवा बदला जा सकेगा;

(5) व्यवस्थापक, लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कर सकेगा अथवा राज्य के महालेखाकार से किसी विशिष्ट वर्ष अथवा कालावधि की लेखा परीक्षा के लिये, ऐसी शर्तो पर, जैसा कि व्यवस्थापक विनिश्चित करे, अनुरोध कर सकेगा;

(6) न्यास द्वारा अनुमोदित बजट और वार्षिक योजना, आगामी वित्तीय वर्ष की अनुमोदित योजनाओं और परियोजनाओं के साथ जिला पंचायत, जिला प्रशासन और राज्य सरकार को उनकी संबंधित वेबसाईट में प्रकाशन के लिए प्रेषित की जायेगी;

(7) अनुमोदित योजनाओं एवं परियोजनाओं के संबंध में भौतिक एवं वित्तीय विषयक त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन, त्रैमास की समाप्ति के 45 दिवस के भीतर न्यास द्वारा तैयार किया जायेगा और तत्पश्चात् उसे अविलंब जिला पंचायत एवं जिला प्रशासन को उनकी संबंधित वेबसाईट में प्रकाशन के लिये अग्रेषित किया जायेगा;

(8) प्रत्येक वर्ष, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन माह के भीतर न्यास द्वारा संबंधित वित्तीय वर्ष के लिये उसके क्रियाकलापों पर एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कराया जायेगा और उसे न्यास के समक्ष रखा जायेगा;

(9) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर शासी परिषद् से अनुमोदन के उपरांत शीघ्र ही अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन और अनुमोदित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जिला पंचायत और राज्य शासन को, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ, उनके संबंधित वेबसाईट पर प्रकाशन के लिए न्यास द्वारा अग्रेषित की जायेगी;

(10) उपरोक्त अभिकरणों द्वारा उनके अनुमोदन की तिथि से एक माह के भीतर वार्षिक प्रतिवेदन, शासन को प्रस्तुत किया जायेगा और उसे न्यास की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

अध्याय–छः

प्रशासनिक व्यवस्था

26. **कर्मचारियों की व्यवस्था.–** (1) राज्य सरकार के विभाग, न्यास के प्रबंधन और उसकी वार्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन, जैसा कि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो, के लिये जिले में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों सहित उनके नियंत्रणाधीन कार्मिकों की सेवाएं, उपलब्ध करायेगी।

(2) राज्य सरकार के विभागों से अथवा जिले के नियमित कर्मचारियों से अथवा ऐसे अन्य संवर्ग से न्यास के प्रशासनिक एवं तकनीकी सहायता के लिए अपेक्षित संख्या में मूल कर्मिकों को उपलब्ध कराने का अनुरोध, न्यास द्वारा व्यवस्थापक से किया जायेगा। ऐसे कर्मिकों की सेवाएं उनके स्वयं के संबंधित संवर्ग में बनी रहेगी। यह व्यय, प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय के लिये इन नियमों में दिये गये 5% के अंदर ही होगा।

(3) व्यवस्थापक को, न्यास के दैनंदिनी कार्यो के संचालन के लिए अधिकारियों एवं लेखा परीक्षकों की सेवा शर्तो को निर्धारित करने की शक्ति होगी। तथापि ये शक्तियां, व्यवस्थापक द्वारा समय समय पर न्यास को प्रत्यायोजित किये जा सकेंगे।

(4) व्यवस्थापक को, जिले में न्यास को संचालित करने के लिये कर्मचारियों की पदसंरचना विनिश्चित करने शक्ति होगी और यह भी विनिश्चित की जायेगी कि कर्मचारियों की भर्ती (नियुक्ति) या प्रतिनियुक्ति या संविदा आधार पर नियुक्ति से की जाये।

(5) न्यास द्वारा ऐसी सेवा, जैसा कि न्यास के सुचारू संचालन के लिये आवश्यक हो, उपलब्ध कराने के लिए सेवा प्रदाताओं की सेवाएं लगाई जा सकती हैं और इसके संचालन हेतु आकस्मिक व्यय के लिये प्रावधान किया जा सकेगा।

27. **न्यासियों का दायित्व.**– (1) सम्यक् तत्परता के साथ सद्भावनापूर्वक किये गये किसी कार्य के लिए न्यासी उत्तरदायी नहीं होगा। किसी बैंकर, ब्रोकर, संरक्षक अथवा अन्य किसी व्यक्ति, जिसके पास कोई प्रतिभूति सद्भावनापूर्वक जमा किया गया है या रखा गया है, के लिए न्यासी उत्तरदायी अथवा जिम्मेदार नहीं होगा और न ही न्यास निधि की किसी भी निवेश के मूल्य में कमी या अपर्याप्तता के लिए और न ही अन्य किसी भी अनैच्छिक नुकसान के लिए न्यासी उत्तरदायी अथवा जिम्मेदार होगा।

(2) न्यासी और प्रत्येक अटार्नी या न्यासी द्वारा नियुक्त अभिकर्ता, गंभीर लापरवाही अथवा जानबूझकर कदाचरण के कारण उद्भूत विषयों को छोड़कर, न्यास के निष्पादन के लिए सभी देनदारियों, हानि और व्यय के संबंध में न्यास निधि से बाहर क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे, परन्तु इस तरह की क्षतिपूर्ति, किसी भी स्थिति में कुल अभिदान से अधिक नहीं होगी।

28. **न्यासियों का पारिश्रमिक.**– न्यासियों को उनकी सेवाओं के लिए किसी भी पारिश्रमिक की पात्रता नहीं होगी। न्यासियों में से नामांकित सदस्यों को उनके द्वारा वास्तविक रूप से भाग ली गयी न्यास की बैठकों के लिये प्रति बैठक, बैठक शुल्क के रूप में व्यवस्थापक द्वारा विनिश्चित कतिपय शुल्क भुगतान किया जायेगा। न्यास के पदेन सदस्यों को इस प्रकार के किसी बैठक शुल्क की पात्रता नहीं होगी।

29. **कार्यों/संविदाओं का निष्पादन.**– (1) कार्यों/वस्तुओं को ऐसे प्रक्रिया, जो कि ऐसे अर्जन के लिये राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये, के सम्यक् अनुपालन के पश्चात् न्यास द्वारा अर्जित किया जा सकेगा।

(2) जहां तक संभव हो, न्यास द्वारा किये जाने वाले कार्यों को शासकीय विभागों, अभिकरणों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जो सामान्यतः इस तरह के कार्यों को करते हों, जो इस तरह के कार्य निष्पादित करने अथवा ठेका देने के समय संस्था के लिए लागू सुसंगत मानदंडों का अनुपालन करेगा, के माध्यम से ही निष्पादित किया जायेगा।

(3) कार्य का तकनीकी अनुमोदन और पर्यवेक्षण ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायेगा, जो संबंधित विभाग को यथा प्रयोज्य शक्तियों का प्रशासकीय प्रत्यायोजन के अन्तर्गत इस प्रकार कार्य करने हेतु सक्षम हो।

(4) ऐसे कार्यों के संबंध में, जिसे शासकीय विभागों, अभिकरणों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता हो, प्रबंधकारिणी समिति, पारदर्शी प्रकिया का अनुपालन करते हुए, किसी अन्य सक्षम एवं सुदृढ़ संस्था को शासी परिषद् के पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, प्रदान कर सकेगी।

(5) सभी अभिकरण एवं हितग्राहियों को निधि का अन्तरण उनके बैंक खाते में किया जायेगा।

अध्याय–सात

विविध

30. **अधिसूचित क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान.**– अधिसूचित क्षेत्र के भीतर स्थित खनन से प्रभावित ग्रामों के संबंध में–

(1) ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक होगा;

(क) ग्राम पंचायतों द्वारा लिये गये समस्त योजनाओं, कार्यकमों और परियोजनाओं के लिये;

(ख) राज्य शासन के विद्यमान दिशा निर्देशों के अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान के लिये।

(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात् संबंधित ग्राम में लिये गये कार्यो का प्रतिवेदन, ग्राम सभा को प्रस्तुत किया जायेगा।

31. **न्यास विलेख में संशोधन.**– न्यास विलेख, केवल व्यवस्थापक की पूर्व सहमति से ही समय समय पर संशोधित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं।

32. **किसी भी योजना/परियोजना को शामिल करने अथवा प्रतिबंध लगाने की व्यवस्थापक की शक्ति.**– व्यवस्थापक को, किसी भी योजना/परियोजना अथवा खनन या खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र और व्यक्तियों के कल्याण के उद्देश्य की अवधारणा को शामिल करने/प्रतिबंध लगाने की शक्ति होगी।

33. **स्पष्टीकरण.**– इस न्यास विलेख के उचित और सुचारू कियान्वयन के लिए आवश्यकता होने पर कोई स्पष्टीकरण व्यवस्थापक द्वारा, जब भी आवश्यक हो, जारी किया जायेगा।

34. न्यास की मुद्रा (सील).– शासी परिषद् की बैठक में न्यासी, न्यास के प्रयोजन हेतु एक मुद्रा (सील) उपलब्ध कराने का विनिश्चिय कर सकेंगे और उसे समय समय पर नष्ट करने और उसके बदले में एक नवीन मुद्रा (सील) प्रतिस्थापित करने की शक्ति होगी। न्यास की मुद्रा (सील), प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेगी तथा अध्यक्ष को, न्यास के लिए और न्यास की ओर से उसका उपयोग करने की शक्ति होगी।

35. **प्रतिसंहरण.**– यह न्यास व्यवस्थापक के विवेक पर प्रतिसंहरणीय है। न्यास उस समय तक अस्तित्व में बना रहेगा जैसा कि व्यवस्थापक द्वारा विनिश्चित की जाये। न्यास के परिशमन होने के समय, न्यास की सभी आस्तियां और देनदारियां, राज्य सरकार को हस्तांतरित की जायेगी।

36. **इन नियमों के कियान्वयन में छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति.**– राज्य सरकार, कारण को अभिलिखित करते हुए और लिखित में आदेश जारी करते हुए, इन नियमों के प्रावधानों को ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों, जैसा कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, के अध्यधीन रहते हुए, शिथिल कर सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, उप–सचिव.

प्ररूप–क

जिला खनिज संस्थान न्यारा विलेख

सचिव, खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, जिसका मुख्यालय नया रायपुर छत्तीसगढ़ में है (जो इसमें इसके पश्चात् "व्यवस्थापक" प्रथम पक्षकार कहा जायेगा) के प्रतिनिधित्व से छत्तीसगढ़ शासन

द्वारा

निम्नलिखित न्यासी, अन्य पक्षकार जिसकी अभिव्यक्तियां, जब तक संदर्भ से प्रतिकूल या असंगत न हो, से अभिप्रेत होगा तथा इसमें सम्मिलित है पदनाम द्वारा पदों को धारण करने वाले उत्तरवर्ती

के पक्ष में

यह न्यास विलेख दिनांक........................ माह..........वर्ष दो हजार ....को स्थान......................पर निष्पादित किया गया।

स. क्र.	नाम	शासी परिषद् में पदनाम

यतः, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 9ख में, व्यक्तियों के हितों तथा लाभ के लिये कार्य करने के उद्देश्य से एवं खनन संबंधी संकियाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के लिये, राज्य शासन द्वारा एक जिला खनिज संस्थान न्यास, जो कि एक गैर लाभकारी निकाय होगी, की स्थापना ऐसी रीति से करने का प्रावधान है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये;

यतः, इस उद्देश्य हेतु व्यवस्थापक द्वारा, "गैर लाभ" के लिये एवं समुदाय के सार्वजनिक हित के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु तथा व्यक्तियों के हितों और लाभ के लिये न्यास की निधि का उपयोग करने हेतु एवं खनन संबंधी संकियाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के लिये, राज्य शासन के अन्तर्गत एक सत्व के रूप में एक न्यास का गठन ऐसी रीति से करने का विनिश्चय किया गया है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये; और

यतः, जिला खनिज संस्थान न्यास की स्थापना करने की इच्छा से व्यवस्थापक द्वारा न्यासी के नियंत्रण में, रूपये 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) की राशि रखा गया है यह राशि जो कि इसमें इसके पश्चात् "प्रारंभिक भुगतान" के रूप में निर्दिष्ट है)

अब, यह न्यास विलेख निम्नानुसार साक्षी है किः–

1.परिभाषाएं.– (1) इस विलेख में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं.67);

(ख) **"प्रभावित क्षेत्र"** से अभिप्रेत है जिले के भीतर खदान अथवा खदानो के समूह से खनन अथवा खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र, जैसा कि कलेक्टर द्वारा अधिसूचित हो और खदान अथवा खदानो के समूह से खनन अथवा खनन से संबंधित संक्रियाओं से जिले के बाहर प्रभावित क्षेत्र जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित हो;

(ग) **"लेखा परीक्षक"** से अभिप्रेत है शासी परिषद द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक/ सनदी लेखापाल और इसमें राज्य के महालेखाकार अथवा व्यवस्थापक द्वारा नामांकित अन्य लेखा परीक्षक भी सम्मिलित है;

(घ) **"कलेक्टर"** का वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) के अंतर्गत उसके लिये समनुदेशित है;

(ङ) **"अंशदान"** से अभिप्रेत है अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा खनिजों के संबंध में यथा विहित रायल्टी का वह प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा गौण खनिजों के संबंध में यथा विहित रायल्टी का वह प्रतिशत जो कि खनिजों के मामलो में खनि पट्टा अथवा संयुक्त अनुज्ञप्ति (पूर्वेक्षण सह खनि पट्टाधारक) अथवा गौण खनिज के मामलों में खनन पट्टा अथवा उत्खनन पट्टा अथवा उत्खनन अनुज्ञापत्रधारकों से न्यास में एकत्र किया जाने वाला अंशदान;

(च) **"अंशदान निधि"** से अभिप्रेत है अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा खनिज के संबंध में यथा विहित रायल्टी का वह प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा गौण खनिज के संबंध में यथा विहित रायल्टी का वह प्रतिशत जो कि खनिजों के मामलो में खनि पट्टा अथवा संयुक्त अनुज्ञप्ति (पूर्वेक्षण सह खनि पट्टाधारक) अथवा गौण खनिज के मामलों में खनन पट्टा अथवा उत्खनन पट्टा अथवा उत्खनन अनुज्ञापत्रधारकों से अंशदान के माध्यम से एकत्र की जाने वाली निधि अथवा न्यास द्वारा प्राप्त कोई अन्य निधि;

(छ) **''शासी परिषद''** से अभिप्रेत है जिला खनिज संस्थान न्यास के समस्त न्यासी;
(ज) **''ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम सभा''** का वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) में क्रमशः उनके लिये समनुदेशित है;
(झ) **''पट्टा क्षेत्र''** से अभिप्रेत है किसी खनिज और/अथवा गौण खनिज हेतु पूर्वेक्षण अथवा खनन संक्रियाओं के प्रयोजन के लिये स्वीकृत क्षेत्र;
(ञ) **''खनन''** से अभिप्रेत है किसी खनिज अथवा गौण खनिज को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली संक्रियाएं;
(ट) **''प्रबंधकारणी समिति''** से अभिप्रेत है व्यवस्थापक द्वारा न्यास के कार्यों के प्रबंधन के उद्देश्य से बनाई गयी समिति;
(ठ) **''राज्य स्तरीय निगरानी समिति''** से अभिप्रेत है समस्त जिलों के न्यासो के समग्र प्रबंधन के लिए नीति की व्यापक रूपरेखा निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति;
(ड) **''व्यवस्थापक''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा किया जायेगा और इसका मुख्यालय नया रायपुर में होगा;
(ढ) **''राज्य सरकार''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन का खनिज साधन विभाग;
(ण) **''न्यास''** से अभिप्रेत है व्यवस्थापक द्वारा स्थापित जिला खनिज संस्थान न्यास, (जिले का नाम);
(त) **''न्यास विलेख''** से अभिप्रेत है न्यासियों के पक्ष में प्ररूप–क में व्यवस्थापक द्वारा निष्पादित विलेख;
(थ) **''न्यासी/न्यासियों''** से अभिप्रेत है न्यास के प्रबंधन के उद्देश्य से व्यवस्थापक द्वारा नियुक्त व्यक्ति;
(द) **''वर्ष''** से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष जो 01 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त अथवा अवधि का वह भाग जो 31 मार्च को समाप्त हो।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियों जो इस विलेख में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है।

अध्याय–दो

जिला खनिज संस्थान न्यास

2. **जिला खनिज संस्थान न्यास.**– (1) छत्तीसगढ़ के प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला खनिज संस्थान न्यास गठित किया जायेगा जिसे उक्त जिले के जिला खनिज संस्थान न्यास के नाम से जाना जायेगा।

(2) न्यास, एक शाश्वत निकाय होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी।

(3) व्यवस्थापक जिला खनिज संस्थान न्यास के न्यासियों को अधिसूचित करेगा।

(4) न्यास, एक गैर लाभ अर्जित करने वाली संस्था होगी।

(5) न्यास, 12 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आ गया समझा जायेगा।

3. **न्यास का नाम एवं अवस्थिति.**– न्यास को जिला खनिज संस्थान न्यास (जिले का नाम) के नाम से जाना जाएगा एवं इसका कार्यालय, जिले के मुख्यालय में अवस्थित होगा।

4. **न्यास के उद्देश्य.**– जिला खनिज संस्थान न्यास का उद्देश्य खनन अथवा खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्ति एवं क्षेत्र के हित एवं लाभ के लिए ऐसी रीति से कार्य करना होगा जैसा कि छत्तीसगढ़ खनिज संस्थान न्यास नियम में विनिर्दिष्ट है।

5. **प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों की पहचान.**–

(1) प्रभावित क्षेत्र में सम्मिलित है–

(क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र– जहां पर प्रत्यक्ष रूप से खनन से संबंधित संक्रियाएं जैसे कि खुदाई, खनन, विस्फोटन, प्रसंस्करण और अपशिष्ट निपटान (अधिभार ढेरो, अवशिष्ट पोखर, परिवहन गलियारा आदि) अवस्थित हो। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित है:–

(एक) ग्राम एवं ग्राम पंचायत जिसके अंतर्गत खदान स्थित हो और संचालित हो। इस तरह का खनन क्षेत्र पड़ोस के ग्राम, ब्लॉक अथवा राज्य के जिले तक विस्तारित किया जा सकता है।

(दो) ऐसे ग्रामों, जिसमें खदान से विस्थापित परिवारों को परियोजना प्राधिकारियों द्वारा बसाया/पुनर्वास किया गया हो।

(तीन) ऐसे ग्रामों, जो कि खनन क्षेत्र पर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और जिस परियोजना क्षेत्र पर उपभोग करने का तथा पारंपरिक अधिकारों को रखते हो, उदाहरण

स्वरूप चराई के लिए, लघु वनोपज का संग्रहण आदि को प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र के रूप में विचार किया जाना चाहिये।

(ख) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र – ऐसे क्षेत्र जहां पर स्थानीय आबादी खनन से संबंधित संक्रियाओं के परिणामों के कारण आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से प्रतिकूल प्रभावित हुई हो। जल, मिट्टी और वायु के गुणवत्ता में गिरावट, जल धारा प्रवाह में कमी, और भू–जल में गिरावट, खनन संक्रियाओं के कारण भीड़ एवं प्रदूषण, खनिज परिवहन के कारण विद्यमान अधोसंरचना और संसाधनों पर बोझ की वृद्धि होना, खनन के प्रमुख नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं।

(ग) खदान एवं खदान के समूह से ऐसी परिधि के अंदर का क्षेत्र, जैसा कि (जिले के भीतर) कलेक्टर द्वारा तथा (जिले के बाहर) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, चाहे उक्त क्षेत्र संबंधित जिले अथवा समीपवर्ती जिले/जिलों के भीतर आता हो।

(घ) उपरोक्त के आधार पर न्यास द्वारा खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की सूची तैयार की जाएगी और अद्यतन सूची संधारित की जायेगी।

(2) प्रभावित व्यक्ति'' में सम्मिलित हैः–

(क) प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले/कार्यरत व्यक्ति तथा निम्नलिखित को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति में शामिल किया जायेगाः–

(एक) 'प्रभावित परिवार' जैसा कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं.30) की धारा 3(ग) में परिभाषित है।

(दो) ' विस्थापित परिवार' जैसा कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30) की धारा 3(ट) में परिभाषित है।

(तीन) संबंधित ग्राम सभा द्वारा सम्यक् रूप से पहचाने गये अन्य कोई।

(ख) खनन से प्रभावित व्यक्तियों में उन व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जायेगा, जिनका खनन किये जाने वाले भूमि पर वैधानिक और व्यावसायिक अधिकार हो और वें भी, जिनका उपभोग करने का और पारंपरिक अधिकार हो।

(ग) प्रभावित परिवारों की पहचान यथा संभव ग्राम सभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के परामर्श से किया जायेगा।

(घ) इस प्रकार प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की न्यास द्वारा सूची तैयार की जायेगी और अद्यतन रूप से संधारित की जायेगी।

6. **नियुक्ति एवं घोषणा पत्र.**– (1) न्यास विलेख के द्वारा गठित जिला खनिज संस्थान न्यास के न्यासियों के रूप में व्यक्तियों, जैसा कि खण्ड 9 में उल्लिखित है, की नियुक्ति व्यवस्थापक द्वारा की जाएगी और न्यास विलेख में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों पर की गयी नियुक्ति को न्यासी स्वीकार करेगा।

(2) शासकीय पदनाम द्वारा नियुक्त किये गये न्यासी, पद एवं पदनाम पर रहने की अवधि तक न्यासी बने रहेंगे और जैसे ही उक्त पद जिस पर वे इस प्रकार नियुक्त अर्थात् पदेन थे, की समाप्ति होते ही न्यासी नही समझे जाएंगे और कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी को उक्त शासकीय पदनाम प्राप्त होने के दिनांक से उनके स्थान पर न्यासी नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

(3) नामांकित किये जाने वाले न्यासियों की नियुक्ति की अवधि, उनके न्यासी नियुक्त किये जाने की तिथि से तीन वर्ष के लिए प्रभावशील होगी और उसके उपरांत व्यवस्थापक अगले अवधि के लिए उनकी नियुक्ति का नवीनीकरण कर सकेगा अथवा उनके स्थान में अन्य किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकेगाः

परन्तु इस तरह से नामांकित न्यासी की अवधि, प्रत्येक तीन वर्ष की दो अवधि से अधिक की नहीं होगी।

(4) व्यवस्थापक, किसी भी समय किसी भी संवर्ग में और ऐसी अवधि के लिए जो कि व्यवस्थापक द्वारा ठीक समझा जाये, न्यासियों की संख्या में वृद्धि कर सकेगा।

(5) व्यवस्थापक, स्वविवेक से किसी भी समय किसी भी न्यासी को हटा सकेगा और किसी अन्य व्यक्ति को न्यासी के रूप में नियुक्त कर सकेगा। व्यवस्थापक द्वारा इस प्रकार हटाये गये न्यासी, हटाये जाने की तिथि से न्यासी नहीं रहेंगे।

(6) उसमें (न्यास विलेख में) घोषित अधिकार एवं प्रावधानों एवं उससे अंतर्विष्ट विषय के अधीन न्यासियों का न्यास निधि पर आधिपत्य रहेगा और न्यासियों को न्यास की रामयावधि के दौरान किसी भी समय किसी अन्य व्यक्ति

अथवा किसी अन्य न्यास के प्रावधानों से व्यक्तियों अथवा अन्यथा इसी उद्देश्य से धारण करने वाले अथवा न्यासियों की ओर से न्यास निधि की अभिवृद्धि के लिए संपत्ति स्वीकार करने का अधिकार होगा।

अध्याय–तीन

न्यास का गठन

7. **न्यास का प्रबंधन.**– न्यास का प्रबंधन, शासी परिषद् में निहित होगा जिसमें न्यास के समस्त न्यासी सम्मिलित होंगे। तथापि, न्यास के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन की व्यवस्था प्रबंधकारिणी समिति द्वारा की जायेगी। तथापि, व्यवस्थापक, प्रबंधकारिणी समिति की विरचना को किसी भी समय परिवर्तन करने का निर्णय ले सकेगा। शासी परिषद् एवं प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि इस विलेख में अन्तर्विष्ट है।

8. **न्यास के न्यासी.**– न्यास के कार्यों को नियमन करने के लिए, व्यवस्थापक द्वारा न्यासियों की नियुक्ति की जायेगी।

9. **शासी परिषद्.**– ऐसे जनप्रतिनिधियों, जो व्यवस्थापक द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि, जो कि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, के लिये नियुक्त किये जायेंगे के सिवाय पदेन न्यासधारिता धारण करने वाले राज्य सरकार के विभागों के अधिकारीगण, न्यासी होंगे। नामांकित सदस्यों को दो कालावधि से अधिक के लिए पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। खनिज रियायतधारियों में से अधिकतम तीन प्रतिनिधियों को विनिर्दिष्ट समयावधि, जो कि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, के लिये कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया जायेगा। न्यासी निम्नानुसार होंगेः–

स. क्र.	न्यासी के पद के नाम/विवरण	न्यास में पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	संबंधित जिले के कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2	तीन जनप्रतिनिधि (व्यवस्थापक द्वारा नामांकित)	सदस्य
3	जिले के खनिज रियायतधारियों में से मात्र तीन प्रतिनिधि (जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित)	सदस्य
4	प्रभावित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के कोई दो सरपंच (कलेक्टर द्वारा नामांकित)	सदस्य
5	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	पदेन सदस्य सचिव
6	पुलिस अधीक्षक	पदेन सदस्य
7	वन मंडलाधिकारी	पदेन सदस्य
8	उप संचालक (खनिज प्रशासन)/खनि अधिकारी	पदेन सदस्य
9	उप संचालक पंचायत	पदेन सदस्य
10	अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	पदेन सदस्य
11	जिला शिक्षा अधिकारी	पदेन सदस्य
12	सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	पदेन सदस्य
13	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सदस्य
14	उप संचालक कृषि	पदेन सदस्य
15	उप/सहायक संचालक, उद्यानिकी	पदेन सदस्य
16	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग	पदेन सदस्य
17	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा	पदेन सदस्य
18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य
19	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	पदेन सदस्य
20	जिला रोजगार अधिकारी	पदेन सदस्य
21	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	पदेन सदस्य

10. न्यासियों के निर्णय.– (1) शासी परिषद् की बैठक में न्यासियों द्वारा समस्त निर्णय लिए जायेंगे और शासी परिषद की प्रत्येक बैठक, न्यास की बैठक समझी जायेगी।

(2) शासी परिषद् के समस्त निर्णय, उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतदान से लिए जायेंगे। मत बराबर होने की स्थिति में, बैठक के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(3) जब तक कि व्यवस्थापक द्वारा सहमति नहीं दी जायेगी, न्यासियों द्वारा न्यास विलेख के किसी भाग को संशोधित नहीं किया जायेगा।

(4) व्यवस्थापक द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों, दिशा निर्देशों इत्यादि के अनुसार ही न्यासियों, शासी परिषद और प्रबंधकारिणी समिति द्वारा कार्य किये जायेंगे।

11. **शासी परिषद् के अधिकार एवं कृत्य.**– शासी परिषद्, जिसमें समस्त न्यासी शामिल है, निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होंगे–

(1) न्यास के संचालन के लिए रूपरेखा (प्रक्रिया) तैयार करना और अनुमोदन करना एवं समय–समय पर इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।

(2) न्यास के वार्षिक कार्य योजना एवं वार्षिक बजट, जो प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए, का अनुमोदन करना। शासी परिषद द्वारा वर्ष के प्रारंभ होने के कम से कम एक माह पूर्व वार्षिक कार्य योजना तैयार करना होगा और अनुमोदन करना होगा। वार्षिक कार्य योजना में अनन्तिम प्रावधानों के साथ योजनाओं एवं परियोजनाओं की सूची अन्तर्विष्ट होगी:

परन्तु यदि किसी कारण से, चाहे जो हो, शासी परिषद वार्षिक योजना और वार्षिक बजट विनिर्दिष्ट समयावधि में तैयार और अनुमोदन प्रदान नहीं कर सकता हो तो न्यास के वार्षिक कार्य योजना और बजट को अध्यक्ष, तैयार करेगा और उसे अनुमोदन करने का अधिकार होगा। इस प्रकार से तैयार किये गये बजट को शासी परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से तैयार और अनुमोदित किया गया समझा जायेगा:

परन्तु यह और कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना तैयार करते समय पूर्व के दायित्वों एवं ऋणों को भी समग्र रूप से आंकलन किया जाना होगा। वित्तीय अनुशासन बनाये रखने और योजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए पूर्व के दायित्वों एवं ऋणों और प्रस्तावित नई योजनाओं के योग, अगले वित्तीय वर्ष के अनुमानित अंतर्वाह (अनुमानित प्राप्तियों) से किसी भी स्थिति में तीन गुना से अधिक नहीं होना चाहिये।

(3) न्यास निधि से ग्राम सभा में निष्पादित किये गये विकास योजनाओं/कार्यों का सामाजिक ऑडिट करवाना।

(4) उपलब्ध न्यास निधि से ऐसे अन्य व्यय जो कि न्यास के उद्देश्यों से अलग हो, को व्यवस्थापक द्वारा यथा विहित तरीके से अनुमोदन करना।

(5) प्रबंधकारिणी समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन करना।

(6) विगत वर्ष के समाप्ति के 90 दिवस के भीतर न्यास के वार्षिक प्रतिवेदन और अंकेक्षित लेखा का अनुमोदन करना।

(7) न्यास के संचालन हेतु, व्यवस्थापक द्वारा विनिश्चित अनुसार, प्रतिनियुक्ति, संविदा अथवा आउटसोर्सिंग के आधर पर अधिकारियों की नियुक्तियों का अनुसमर्थन करना।

12. **शासी परिषद् की बैठकें.**– (1) शासी परिषद् की बैठक, जब भी आवश्यक हो, होगी किन्तु प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार होगी।

(2) अध्यक्ष की इच्छानुसार शासी परिषद की बैठक आहूत की जाएगी।

(3) शासी परिषद् के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से बैठक का कोरम होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है, तो बैठक आधे घंटे के लिये स्थगित की जायेगी और उसी स्थान पर उसी दिन पुनः आहूत की जायेगी जिसके लिये कोरम की शर्त लागू नहीं होगी।

13. **प्रबंधकारिणी समिति.**— न्यास के कार्यों का प्रबंधन, दैनंदिनी आधार पर प्रबंधकारिणी समिति द्वारा की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगेः—

स. क्र.	पद के नाम	न्यास में पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	संबंधित जिले के कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	पदेन सदस्य सचिव
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सदस्य
4.	वन मण्डलाधिकारी	पदेन सदस्य
5.	उप संचालक, पंचायत	पदेन सदस्य
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सदस्य
7.	अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड	पदेन सदस्य
8.	उप संचालक (खनिज प्रशासन)/खनि अधिकारी	पदेन सदस्य
9.	उप संचालक कृषि/उद्यानिकी	पदेन सदस्य
10.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	पदेन सदस्य
11.	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	पदेन सदस्य
12.	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा	पदेन सदस्य
13.	जिला शिक्षा अधिकारी	पदेन सदस्य
14.	सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	पदेन सदस्य
15.	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य
16.	जिला रोजगार अधिकारी	पदेन सदस्य
17.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	पदेन सदस्य

14. **प्रबंधकारिणी समिति की शक्तियां और कृत्य.**— प्रबंधकारिणी समिति—

(1) न्यास के हितों के संरक्षण हेतु अपने दायित्वों का निर्वहन समुचित कर्मठता के साथ करेगी;

(2) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एवं व्यवस्थापक द्वारा निर्धारित रीति से संबंधित खनि पट्टाधारियों से समय पर अंशदान एकत्र करना सुनिश्चित करेगी;

(3) न्यास की गतिविधियों के लिए मास्टर प्लान/विजन डाकूमेंट तैयार करेगी;

(4) जिले के ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, जिला पंचायतों और स्थानीय नगरीय निकायों, शासकीय विभागों और मंडल, निगमों तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार के सार्वजनिक प्रक्षेत्र के उपकमों आदि से प्रस्ताव/परियोजनाओं को प्राप्त करेगी। तथापि, प्रबंध कार्यकारिणी समिति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रभावित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं से प्रस्ताव एवं परियोजना प्राप्त कर सकेगी;

(5) न्यास के वार्षिक योजना का समन्वय, संचित तथा विकसित करना और प्रस्तावित योजना और परियोजनाओं के साथ न्यास के वार्षिक योजना और वार्षिक बजट को तैयार करने में सहायता करेगी;

(6) वार्षिक योजना और अनुमोदित स्कीम और परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करेगी और उनका कियान्वयन सुनिश्चित करेगी;

(7) परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करेगी और उसके लिए न्यास निधि उपलब्ध करायेगी और वितरित करेगी;

(8) न्यास निधि का संचालन और उसका अध्यवसायी तरीके से निवेश और न्यास के नाम पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अनुसूचित व्यापारिक बैंक में खाता खोलेगी और उस खाते का संचालन और निवेश करेगी;

(9) न्यास निधि के उपयोग की प्रगति की निगरानी करेगी;

(10) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिवसों के भीतर शासी परिषद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिये, वार्षिक प्रतिवेदन के साथ अंकेक्षित लेखा प्रस्तुत करेगी;

(11) न्यास के कार्यों के संपादन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण एवं अनुमोदन करेगी;

(12) व्यवस्थापक के निर्देशानुसार कर्मचारियों और लेखा परीक्षको की नियुक्ति करेगी तथापि, इन नियुक्तियों का अनुसमर्थन शासी परिषद् से कराया जाना आवश्यक होगा;

(13) वेबसाइट तैयार करेगी और उसका संधारण करेगी जिस पर अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित जानकारी प्रविष्ट की जायेगी:—

(क) न्यास/न्यास के निकाय (यदि कोई हो) के संरचना का विवरण;

(ख) खदानों से प्रभावित क्षेत्र तथा लोगों की सूची;

(ग) पट्टाधारक तथा अन्य से प्राप्त समस्त योगदानों का त्रैमासिक विवरण;

(घ) बैठक की समस्त एजेंडा, मिनट्स तथा न्यास के द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन;

(ङ) वार्षिक योजना एवं बजट, कार्य आदेश, वार्षिक प्रतिवेदन;

(च) चल रहे कार्यों का ऑनलाइन प्रास्थिति, समस्त परियोजनाओं/कार्यक्रमों की क्रियान्वयन की प्रास्थिति/प्रगति, वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये जिसमें कार्य का विवरण, हितग्राहियों की जानकारी, अनुमानित व्यय, क्रियान्वयन अभिकरण का नाम, प्रारंभ एवं समापन की संभावित तिथि, पिछले त्रैमासिक तक की वित्तीय तथा भौतिक प्रगति आदि सम्मिलित है;

(छ) विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत हितग्राहियों की सूची; और

(ज) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 22) के अधीन स्वैच्छिक प्रकटीकरण।

(14) समस्त अन्य कार्य करेगी जो न्यास के सहज संचालन एवं प्रबंध के लिये आवश्यक हो।

15. **प्रबंधकारिणी समिति की बैठकें.**— (1) वित्तीय वर्ष में प्रबंधकारिणी समिति की कम से कम चार बैठकें आहूत की जायेंगी तथा उसे (बैठकें) अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित अनुसार आहूत की जायेगी।

(2) प्रबंधकारिणी समिति के कुल सदस्यों की एक तिहाई सदस्यों से बैठक का कोरम होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है, तो बैठक आधे घंटे के लिये स्थगित की जायेगी तथा उसी स्थान पर उसी दिन पुनः आहूत की जायेगी जिसके लिये कोरम की शर्त लागू नहीं होगी।

अध्याय—चार

राज्य स्तरीय निगरानी समिति

16. **विरचना.**— (1) समस्त जिलों के न्यासों के समग्र प्रबंधन के लिये नीति की व्यापक रूपरेखा निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति होगी।

(2) राज्य स्तरीय निगरानी समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:—

स. क्र.	सदस्यों का विवरण	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	मुख्यमंत्री	पदेन अध्यक्ष
2	वित्त मंत्री	पदेन सदस्य
3	कृषि मंत्री	पदेन सदस्य
4	वन मंत्री	पदेन सदस्य
5	पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री	पदेन सदस्य
6	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री	पदेन सदस्य
7	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री	पदेन सदस्य
8	स्कूल शिक्षा मंत्री	पदेन सदस्य
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री	पदेन सदस्य
10	मुख्य सचिव	पदेन सदस्य
11	सचिव, खनिज साधन विभाग	पदेन सदस्य सचिव

(3) अध्यक्ष की अनुमति से समय समय पर ऐसे सदस्यों को भी समिति के विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा, जिसे अध्यक्ष उचित समझे।

17. **राज्य स्तरीय निगरानी समिति की शक्तियां एवं कृत्य.**— (1) न्यास के उद्देश्य के अनुरूप समस्त जिलों के न्यास के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करेगी।

(2) किसी खदान अथवा खदानों के समूह से अंशदान निधि में अभिदाय राशि का उस खदान अथवा खदानों के समूहों की खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित जिलों में वितरण करेगी।

(3) पोर्टल, जिसमें न्यास द्वारा वार्षिक योजनायें प्रदान की गयी स्वीकृति और अनुमोदन अन्तर्विष्ट है, के माध्यम से ऑनलाईन निगरानी व्यवस्था बनायेगी।

(4) ई—गवर्नेन्स के उपयोग के माध्यम से निगरानी एवं न्यास निधि के व्यय में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।

अध्याय—पांच

अंशदान निधि एवं न्यास निधि का प्रबंधन

18. **अंशदान निधि.**— (1) अंशदान निधि का संधारण न्यास के प्रबंधकारिणी समिति द्वारा किया जायेगा। अंशदान निधि में, मुख्य खनिज के मामलो में खनि पट्टा अथवा संयुक्त अनुज्ञप्ति (पूर्वेक्षण सह खनि पट्टा) धारको अथवा गौण खनिज के मामलों में खनि पट्टा अथवा उत्खनन पट्टा अथवा उत्खनन अनुज्ञापत्र अथवा संयुक्त अनुज्ञप्ति (पूर्वेक्षण सह खनि पट्टा) धारकों से अंशदान के माध्यम से एकत्रित निधि समाविष्ट होगी।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सार्वजनिक कोष को रखने के लिए अनुमोदित एक या अधिक अनुसूचित व्यापारिक बैंक में अंशदान निधि को न्यास के नाम पर ही रखा जायेगा और समस्त खातों का प्रचालन प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष और प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य—सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। न्यास की प्रबंधकारिणी समिति, इस निधि की लेखा पुस्तिका का संधारण करेगी।

19. **न्यास निधि.**— जिला खनिज संस्थान न्यास की न्यास निधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

(1) व्यवस्थापक द्वारा किया गया प्रारम्भिक भुगतान;

(2) व्यवस्थापक अथवा अन्य किसी अभिकरण, संस्था अथवा व्यक्ति से प्राप्त कोई अनुदान, अभिदान अथवा अन्य पूंजीगत सहायता;

(3) राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा यथा खान या खान के समूहों से इस विलेख के खण्ड 2 (1) (च) में यथा परिभाषित अंशदान निधि का भाग;

(4) निवेश और अन्य जमा और उस पर प्रोद्भूत ब्याज और उससे प्राप्त होने वाली अन्य कोई आय;

(5) न्यास की अन्य समस्त संपत्ति और उससे प्राप्त होने वाली आय अथवा अधिमूल्यन; और

(6) अन्य जिलों के अंशदान निधि से प्राप्त निधि जैसा कि राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा निर्धारित किया जाये।

20. **न्यास निधि का संचालन.**— भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे सार्वजनिक निधि को रखने के लिये अनुमोदित एक या अधिक अनुसूचित व्यवसायिक बैंक में न्यास निधि को, न्यास के नाम पर रखा जायेगा और समस्त खातों का प्रचालन प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष और प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य—सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। न्यास की प्रबंधकारिणी समिति इस निधि के लेखा पुस्तिका का संधारण करेगी। यह खाता, अंशदान निधि से पृथक रूप से संधारित की जायेगी।

21. **न्यास निधि से व्यय.**— न्यास के पास उपलब्ध निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जायेगा:—

(1) प्रबंधकारिणी समिति द्वारा तैयार और न्यास के शासी परिषद् द्वारा इस प्रयोजन हेतु अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप खनन अथवा खनन से संबंधित संकियाओ से प्रभावित क्षेत्र के समग्र विकास हेतु;

(2) न्यास के पास उपलब्ध निधि का कम से कम 60% को उच्च प्राथमिकता के क्षेत्रो में उपयोजित की जायेगी, जैसे कि:—

(क) **पेयजल आपूर्ति** :— केन्द्रीय शुद्धिकरण प्रणालियों, जल उपचार संयंत्रों, स्थायी/अस्थायी जल वितरण जाल (संरचना) जिसमें स्टैण्ड एलोन पेयजल सुविधा भी सम्मिलित है, जल आपूर्ति के लिये पाईप लाइन डालना।

(ख) पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय :– दूषित जल प्रवाह उपचार संयंत्र, क्षेत्र के जलधाराओं, तालाबों, पोखरों, भू–जल, अन्य जल स्त्रोतों के प्रदूषण निवारण, खनन संक्रियाओं एवं ढेरों के कारण होने वाले वायु एवं धूल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, खान जल निकासी प्रणाली, खान प्रदूषण निवारण तकनीकियों और चालू अथवा बंद खदानों के लिये उपाय तथा पर्यावरण अनुकूल एवं सतत् खान विकास हेतु अपेक्षित वायु, जल तथा सतह प्रदूषण नियंत्रण तंत्र।

(ग) **स्वास्थ्य देखभाल** :– प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के निर्माण कराने पर केंद्रित होना चाहिये। स्वास्थ्य सेवाओं अधोसंरचना के निर्माण पर ही जोर नहीं दिया जाना चाहिये अपितु इस तरह की सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक अमले, उपकरण एवं अन्य आपूर्तियों के प्रावधानों पर भी जोर दिया जाना चाहिये। विद्यमान स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना के अभिसरण में अनुपूर्ति के प्रयास किये जाने की सीमा तक खनन से संबंधित बीमारियों और व्याधियों की अपेक्षा करने की आवश्यकता हेतु विशेष अधोसंरचना बनाने हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ के पास उपलब्ध विशेषज्ञता को भी आकृष्ट करना। खनन से प्रभावित व्यक्तियों के स्वास्थ्य सेवाओं के लिये समूह बीमा योजना।

(घ) **शिक्षा** :– शैक्षणिक संस्थाओं और व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, अतिरिक्त कक्षा–कक्षों (क्लास रूमों), प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला एवं शिल्प कक्ष, प्रसाधन खण्डों, पेयजल प्रावधान, सुदूर क्षेत्रो में विद्यार्थियों/शिक्षकों के लिये होस्टल्स, खेल अधोसंरचना, शिक्षको/अन्य समर्पित अमले को संलग्न किये जाने, ई–शिक्षा प्राप्ति व्यवस्था, विद्यार्थियों के लिये अन्य परिवहन सुविधायें (बस/वेन/साईकल/रिक्शा आदि) और आहार पोषण से संबंधित कार्यक्रमों।

(ड.) **कृषि एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियां** :– कृषि एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों और कृषि वानिकी से संबंधित कियाकलापों का विकास। बीज लघु साज–सामान (seed mini kits) के प्रावधान द्वारा कृषकों को सहायता, कृषि संबंधी औजारों और ड्रिप्स इरिगेशन सहित सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं के लिये वित्तीय सहायता, नलकूप और पम्प विद्युतीकरण हेतु वित्तीय सहायता, कृषकों को कृषि से संम्बद्ध कियाकलापों जैसे पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, कृषि वानिकी आदि के लिये सहायता। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का सं. 2) के अंतर्गत वन अधिकार धारकों को इस सहायता की पात्रता होगी।

(च) महिला एवं बाल कल्याण :– प्रसूता और शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण, संकमक व्याधियों आदि की समस्याओं के लिये विशेष कार्यकम।

(छ) वृद्ध और निःशक्तजन के कल्याण :– वृद्ध और निःशक्तजनों के कल्याण के लिये विशेष कार्यकम।

(ज) कौशल विकास एवं रोजगार :– स्थानीय पात्र व्यक्ति के जीविका समर्थन, आय अर्जन और आर्थिक गतिविधियों के लिये कौशल विकास। परियोजनाओं/कार्यक्रमों में, प्रशिक्षण, कौशल विकास केन्द्रों का विकास, स्वरोजगार कार्यक्रम, स्व सहायता समूहों को सहायता और स्वरोजगार आर्थिक कियाकलापों, नई पद्धति, उद्मशीलता, इनक्युबेशान सेन्टर की सहायता के लिये आगे और पीछे के संयोजन (linkages) के प्रावधान।

(झ) स्वच्छता :– कूड़े का एकत्रण, परिवहन और निबटारा, सार्वजनिक स्थलों की सफाई, समुचित जल निकास और मल प्रवाह उपचार संयंत्र हेतु प्रावधान, मल कीचड़ के निबटारे का प्रावधान, शौचालय और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिये प्रावधान।

(3) न्यास निधि के शेष 40% को अन्य प्राथमिकता के क्षेत्रो में उपयोजित की जायेगी जैसे कि –

(क) **भौतिक अधोसंरचना**– आवश्यक भौतिक संरचनाओं जैसे कि सड़को, पुलो, रेलमार्गो, जलमार्गो, विमान पत्तनों, औद्योगिक पार्को/क्लस्टर्स और अन्य औद्योगिक अधोसंरचना आदि उपलब्ध कराने ।

(ख) **सिंचाई**– सिंचाई के विकास, समुचित और उन्नत सिंचाई तकनिकियों को अपनाने के लिये।

(ग) **उर्जा और जल विभाजक विकास**– पारंपरिक विद्युत और उर्जा के अक्षय स्त्रोतों द्वारा घरेलू विद्युतीकरण और विद्युत अद्योसंरचनाओ का सुदृढ़ीकरण, उर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतो (सूक्ष्म जल विद्युत सहित) और वर्षाजल हार्वेस्टिंग सिस्टम का विकास। फलोद्यान, एकीकृत कृषि और आर्थिक वानिकी और जलसंग्रहण क्षेत्र का प्रत्यावर्तन के विकास।

(घ) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्देशित कोई अन्य अद्योसंरचना कार्य।

(4) सीधे वित्तीय पोषण रीति, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रीति के माध्यम से शासन के विभागों, निगमों और मण्डलों के विभिन्न विकास एवं अधोसंरचना से संबंधित परियोजनाओं के लिये;

(5) योग्य मानव संसाधनों जैसे चिकित्सक, नर्सो और शिक्षकों आदि की आवश्यकता पूर्ति/अंतरपूर्ति की व्यवस्था के लिये;

(6) उप–नियम (2) और (3) में वर्णित क्षेत्रों से संबंधित शासन की योजनाओं/कार्यक्रमों की अनुपूर्ति करने के लिये;

(7) न्यास निधि के अंतर्गत संपादित की जाने वाली विभिन्न विकास योजनाओं के बनाने और निगरानी के लिये ग्राम सभाओं की क्षमता विकास के लिये प्रशिक्षण;

(8) वित्तीय वर्ष के दौरान, वास्तव में प्राप्त न्यास निधि के 5% या रूपये एक करोड़, जो भी कम हो, से अनाधिक राशि का व्यय, उस वित्तीय वर्ष के लिये उसके प्रशासकीय अथवा स्थापना के लिये न्यास द्वारा व्यय किया जायेगाः

परन्तु प्रशासकीय अथवा स्थापना व्यय की पूर्ति की उच्चतम सीमा में व्यवस्थापक द्वारा समय समय पर, वृद्धि की जा सकेगी।

(9) वार्षिक प्राप्ति की एक उचित राशि, सतत् आजीविका प्रदान करने के लिये अक्षय निधि के रूप में रखी जायेगी।

22. **निषेधित कार्य.**— राज्य स्तरीय निगरानी समिति, कतिपय कार्य/कार्यों अथवा गतिविधियों को, जो कि न्यास के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए लाभकारी न हो, निषेधित कर सकेगा।

23. **व्यय का प्रभारित करना.**— न्यास निधि को निम्नलिखित व्यय के लिए प्रभारित करने हेतु न्यासी हकदार होंगे :—

(1) न्यास के संचालन एवं क्रियान्वयन और उगाही, परिरक्षण अथवा निवेशों में लाभ और न्यास निधि सहित आस्तियों और न्यास के हितों के संरक्षण हेतु सुव्यवस्थित रूप से किये गये समस्त व्यय;

(2) न्यासियों द्वारा अनुदान प्राप्त करने और/या अन्य कोई संसाधन जो कि उपार्जित हो, के लिए किये गये समस्त व्यय (किसी भी अनुबंध अथवा अन्य विलेख के निष्पादन और/या पंजीयन के लिए प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है);

(3) न्यास से संबंधित मामलों में न्यासी द्वारा अथवा के विरूद्ध विधिक कार्यवाही से संबंधित समस्त व्यय, जिसमें व्यवसायिक शुल्क एवं विधिक सलाहकार का परिव्यय शामिल है;

(4) न्यास के संचालन एवं कियान्वयन के लिए किया गया समस्त विधिक और संविधिक व्यय, जिसमें न्याय के मामले से संबंधित भुगतान की गई/भुगतान की जाने योग्य समस्त लेवी, ड्यूटी एवं अन्य प्रभार सम्मिलित है; और

(5) बैठकों के आयोजन तथा अन्य कार्यवाही और योजना बनाने, कियान्वयन, निरीक्षण, समीक्षा और परियोजनाओं को तैयार करने एवं सलाहकारों की सेवाएं लेने, तीसरे पक्ष से निरीक्षण कराने, लेखा परीक्षण और इसी तरह के अन्य प्रासंगिक व्यय के संबंध में किये गये समस्त व्यय।

24. **लेखा और लेखा परीक्षा.**— (1) प्रबंधकारिणी समिति, न्यास के मामलों में सही एवं निष्पक्ष छवि के लिए न्यास निधि से संबंधित लेखा पुस्तिका, दस्तावेजों और अभिलेखों का समुचित संधारण करेगा अथवा करायेगा;

(2) वर्ष की समाप्ति पर न्यास की लेखा का लेखा परीक्षा योग्य लेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा;

(3) न्यास के लेखा परीक्षक की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों की सूची में से शासी परिषद् द्वारा, ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, की जायेगी, जैसा कि शासी परिषद द्वारा विनिश्चित किया जाये;

(4) शासी परिषद् द्वारा लेखा परीक्षकों को हटाया अथवा बदला जा सकेगा;

(5) व्यवस्थापक, लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कर सकेगा अथवा राज्य के महालेखाकार से किसी विशिष्ट वर्ष अथवा कालावधि की लेखा परीक्षा के लिये, ऐसी शर्तों पर, जैसा कि व्यवस्थापक विनिश्चित करे, अनुरोध कर सकेगा;

(6) न्यास द्वारा अनुमोदित बजट और वार्षिक योजना, आगामी वित्तीय वर्ष की अनुमोदित योजनाओं और परियोजनाओं के साथ जिला पंचायत, जिला प्रशासन और राज्य सरकार को उनकी संबंधित वेबसाईट में प्रकाशन के लिए प्रेषित की जायेगी;

(7) अनुमोदित योजनाओं एवं परियोजनाओं के संबंध में भौतिक एवं वित्तीय विषयक त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन, त्रैमास की समाप्ति के 45 दिवस के भीतर न्यास द्वारा तैयार किया जायेगा और तत्पश्चात् उसे अविलंब जिला पंचायत एवं जिला प्रशासन को उनकी संबंधित वेबसाईट में प्रकाशन के लिये अग्रेषित किया जायेगा;

(8) प्रत्येक वर्ष, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन माह के भीतर न्यास द्वारा संबंधित वित्तीय वर्ष के लिये उसके क्रियाकलापों पर एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कराया जायेगा और उसे न्यास के समक्ष रखा जायेगा;

(9) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर शासी परिषद् से अनुमोदन के उपरांत शीघ्र ही अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन और अनुमोदित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जिला पंचायत और राज्य शासन को, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ, उनके संबंधित वेबसाईट पर प्रकाशन के लिए न्यास द्वारा अग्रेषित की जायेगी;

(10) उपरोक्त अभिकरणों द्वारा उनके अनुमोदन की तिथि से एक माह के भीतर वार्षिक प्रतिवेदन, शासन को प्रस्तुत किया जायेगा और उसे न्यास की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

अध्याय–छः

प्रशासनिक व्यवस्था

25. **कर्मचारियों की व्यवस्था.–** (1) राज्य सरकार के विभाग, न्यास के प्रबंधन और उसकी वार्षिक योजनाओं के कियान्वयन, जैसा कि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो, के लिये जिले में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों सहित उनके नियंत्रणाधीन कार्मिकों की सेवाएं, उपलब्ध करायेगी।

(2) राज्य सरकार के विभागों से अथवा जिले के नियमित कर्मचारियों से अथवा ऐसे अन्य संवर्ग से न्यास के प्रशासनिक एवं तकनीकी सहायता के लिए अपेक्षित संख्या में मूल कर्मिकों को उपलब्ध कराने का अनुरोध, न्यास द्वारा व्यवस्थापक से किया जायेगा। ऐसे कर्मिकों की सेवाएं उनके स्वयं के संबंधित संवर्ग में बनी रहेगी। यह व्यय, प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय के लिये छत्तीसगढ़ खनिज संस्थान न्यास नियम में दिये गये 5% के अंदर ही होगा।

(3) व्यवस्थापक को, न्यास के दैनंदिनी कार्यो के संचालन के लिए अधिकारियों एवं लेखा परीक्षकों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति होगी। तथापि ये शक्तियां, व्यवस्थापक द्वारा समय समय पर न्यास को प्रत्यायोजित किये जा सकेंगे।

(4) व्यवस्थापक को, जिले में न्यास को संचालित करने के लिये कर्मचारियों की पदसंरचना विनिश्चित करने शक्ति होगी और यह भी विनिश्चित की जायेगी कि कर्मचारियों की भर्ती (नियुक्ति) या प्रतिनियुक्ति या संविदा आधार पर नियुक्ति से की जाये।

(5) न्यास द्वारा ऐसी सेवा, जैसा कि न्यास के सुचारू संचालन के लिये आवश्यक हो, उपलब्ध कराने के लिए सेवा प्रदाताओं की सेवाएं लगाई जा सकती हैं और इसके संचालन हेतु आकस्मिक व्यय के लिये प्रावधान किया जा सकेगा।

26. **न्यासियों का दायित्व.–** (1) सम्यक् तत्परता के साथ सद्भावनापूर्वक किये गये किसी कार्य के लिए न्यासी उत्तरदायी नहीं होगा। किसी बैंकर, ब्रोकर, संरक्षक अथवा अन्य किसी व्यक्ति, जिसके पास कोई प्रतिभूति सद्भावनापूर्वक जमा किया गया है या रखा गया है, के लिए न्यासी उत्तरदायी अथवा जिम्मेदार नहीं होगा और न ही न्यास निधि की किसी भी निवेश के मूल्य में कमी या अपर्याप्ता के लिए और न ही अन्य किसी भी अनैच्छिक नुकसान के लिए न्यासी उत्तरदायी अथवा जिम्मेदार होगा।

(2) न्यासी और प्रत्येक अटार्नी या न्यासी द्वारा नियुक्त अभिकर्ता, गंभीर लापरवाही अथवा जानबूझकर कदाचरण के कारण उद्भूत विषयों को छोड़कर, न्यास के निष्पादन के लिए सभी देनदारियों, हानि और व्यय के संबंध में न्यास निधि से बाहर क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे:

परन्तु इस तरह की क्षतिपूर्ति, किसी भी स्थिति में कुल अभिदान से अधिक नहीं होगी।

27. **न्यासियों का पारिश्रमिक.–** न्यासियों को उनकी सेवाओं के लिए किसी भी पारिश्रमिक की पात्रता नहीं होगी। न्यासियों में से नामांकित सदस्यों को उनके द्वारा वास्तविक रूप से भाग ली गयी न्यास की बैठकों के लिये प्रति बैठक, बैठक शुल्क के रूप में व्यवस्थापक द्वारा विनिश्चित कतिपय शुल्क भुगतान किया जायेगा। न्यास के पदेन सदस्यों को इस प्रकार के किसी बैठक शुल्क की पात्रता नहीं होगी।

28. **कार्यों/संविदाओं का निष्पादन.–** (1) कार्यों/वस्तुओं को ऐसे प्रक्रिया, जो कि ऐसे अर्जन के लिये राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये, के सम्यक् अनुपालन के पश्चात् न्यास द्वारा अर्जित किया जा सकेगा।

(2) जहां तक संभव हो, न्यास द्वारा किये जाने वाले कार्यों को शासकीय विभागों, अभिकरणों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों, जो सामान्यतः इस तरह के कार्यों को करते हों, जो इस तरह के कार्य निष्पादित करने अथवा ठेका देने के समय संस्था के लिए लागू सुसंगत मानदंडों का अनुपालन करेगा, के माध्यम से ही निष्पादित किया जायेगा।

(3) कार्य का तकनीकी अनुमोदन और पर्यवेक्षण ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायेगा, जो संबंधित विभाग को यथा प्रयोज्य शक्तियों का प्रशासकीय प्रत्यायोजन के अन्तर्गत इस प्रकार कार्य करने हेतु सक्षम हो।

(4) ऐसे कार्यों के संबंध में, जिसे शासकीय विभागों, अभिकरणों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता हो, प्रबंधकारिणी समिति, पारदर्शी प्रकिया का अनुपालन करते हुए, किसी अन्य सक्षम एवं सुदृढ़ संस्था को शासी परिषद् के पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, प्रदान कर सकेगी।

(5) सभी अभिकरण एवं हितग्राहियों को निधि का अन्तरण उनके बैंक खाते में किया जायेगा।

अध्याय–सात

विविध

29. **अधिसूचित क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान.–** अधिसूचित क्षेत्र के भीतर स्थित खनन से प्रभावित ग्रामों के संबंध में–

(1) ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक होगा;

(क) ग्राम पंचायतों द्वारा लिये गये समस्त योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिये;

(ख) राज्य शासन के विद्यमान दिशा निर्देशों के अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान के लिये।

(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात् संबंधित ग्राम में लिये गये कार्यों का प्रतिवेदन, ग्राम सभा को प्रस्तुत किया जायेगा।

30. **न्यास विलेख में संशोधन.–** न्यास विलेख, केवल व्यवस्थापक की पूर्व सहमति से ही समय समय पर संशोधित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं।

31. **किसी भी योजना/परियोजना को शामिल करने अथवा प्रतिबंध लगाने की व्यवस्थापक की शक्ति.–** व्यवस्थापक को, किसी भी योजना/परियोजना अथवा खनन या खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र और व्यक्तियों के कल्याण के उद्देश्य की अवधारणा को शामिल करने/प्रतिबंध लगाने की शक्ति होगी।

32. **स्पष्टीकरण.–** इस न्यास विलेख के उचित और सुचारू कियान्वयन के लिए आवश्यकता होने पर कोई स्पष्टीकरण व्यवस्थापक द्वारा, जब भी आवश्यक हो, जारी किया जायेगा।

33. **न्यास की मुद्रा (सील).–** शासी परिषद् की बैठक में न्यासी, न्यास के प्रयोजन हेतु एक मुद्रा (सील) उपलब्ध कराने का विनिश्चिय कर सकेंगे और उसे समय समय पर नष्ट करने और उसके बदले में एक नवीन मुद्रा (सील) प्रतिस्थापित करने की शक्ति होगी। न्यास की मुद्रा (सील), प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेगी तथा अध्यक्ष को, न्यास के लिए और न्यास की ओर से उसका उपयोग करने की शक्ति होगी।

34. **प्रतिसंहरण.–** यह न्यास व्यवस्थापक के विवेक पर प्रतिसंहरणीय है। न्यास उस समय तक अस्तित्व में बना रहेगा जैसा कि व्यवस्थापक द्वारा विनिश्चित की जाये। न्यास के परिशमन होने के समय, न्यास की सभी आस्तियां और देनदारियां, राज्य सरकार को हस्तांतरित की जायेगी।

35. **इस विलेख के कियान्वयन में छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति.–** राज्य सरकार, कारण को अभिलिखित करते हुए और लिखित में आदेश जारी करते हुए, इस विलेख के प्रावधानों को ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तो, जैसा कि इस विलेख में विनिर्दिष्ट किया जाये, के अध्यधीन रहते हुए, शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

वर्तमान में, न्यास के पास, न्यास निधि तथा व्यवस्थापक द्वारा दानस्वरूप दी गई अचल सम्पत्ति, जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित है, से भिन्न, कोई सम्पत्ति या आस्तियां, चाहे वह चल या अचल हो, नही है:

1. न्यास के कोर्पस फण्ड में नगद अंशदान रूपये.. (शब्दों में रूपये...मात्र)

2. ....की सम्पत्तियां

3. ....की आस्तियां

साक्षीयों के समक्ष, पक्षकारों द्वारा प्रथमतः इसमें इसके पूर्व दर्शित दिन और वर्ष को यह विलेख निष्पादित किया गया।

व्यवस्थापक की ओर से हस्ताक्षर एवं परिदत्त.

नाम

सचिव, खनिज संसाधन विभाग,

छत्तीसगढ़ शासन

साक्षीः

(1) हस्ताक्षरः

नामः

पताः

(2) हस्ताक्षरः

नामः

पताः

प्रथम न्यासियों के हस्ताक्षर

1. हस्ताक्षरः

नामः

पताः

2. हस्ताक्षरः

नामः

पताः

3. हस्ताक्षरः

नामः

पताः

4. हस्ताक्षरः

नामः

पताः

5. हस्ताक्षरः

नामः

पताः

6. हस्ताक्षरः

नामः

पताः

7. हस्ताक्षरः

नामः

पताः

8. हस्ताक्षरः

नामः

पताः

9. हस्ताक्षरः

नामः

पताः

10. हस्ताक्षरः

नामः

पताः

11. हस्ताक्षरः

नामः

पताः

12. हस्ताक्षरः

नामः

पताः

नया रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 7–19/2015/12.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 22nd December 2015

NOTIFICATION

No. F 7-19/2015/12.— In exercise of the powers conferred by Section 9(B), 15(4) and 15A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following rules, namely:-

RULES

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement.**- (1) These rules may be called the Chhattisgarh District Mineral Foundation Trust Rules, 2015.

   (2) These rules shall extend to the whole State Chhattisgarh.

   (3) These rules shall be deemed to have come into force on 12th day of January, 2015.

2. **Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) **"Act"** means the Mines and Minerals (Development And Regulation) Act, 1957(No. 67 of 1957);

   (b) **"Affected Areas"** means areas affected by mining or mining related operations from a mine or cluster of mines within the District as notified by the Collector and areas affected by mining or mining related operations from a mine or cluster of mines beyond the District as notified by the State Government from time to time;

   (c) **"Auditor"** means the Auditor/Chartered Accountant appointed by the Governing Council, and include the Accountant General of the State or other Auditors nominated by the Settlor;

   (d) **"Collector"** shall have the same meaning assigned to him/her under the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);

   (e) **"Contribution"** means the contribution to be collected in the Trust from the holders of a mining lease or a composite license (prospecting license-cum-mining lease) in case of Minerals or a mining lease or a quarry lease or a quarry permit in the case of Minor Minerals in the District at such percentage of the royalty to be paid in terms of the Second Schedule of the Act, as may be prescribed by the Central Government in the case of Minerals and such percentage of royalty to be paid in the case of Minor Minerals as may be prescribed by the State Government from time to time;

(f) **"Contribution Fund"** means the funds collected through contribution from the holders of a mining lease or a composite license (prospecting license-cum-mining lease)in the case of Minerals or a mining lease or a quarry lease or a quarry permit in the case of Minor Minerals in the District at such percentage of the royalty paid in terms of the Second Schedule of the Act, as may be prescribed by the Central Government in the case of Minerals and such percentage of royalty paid in the case of Minor Minerals as may be prescribed by the State Government from time to time, or any other funds received by the Trust;

(g) **"Form"** means a Form appended to these rules;

(h) **"Governing Council"** means all the trustees of the District Mineral Foundation Trust;

(i) **"Gram Panchayat Janpad Panchayat, Zila Panchayat and Gram Sabha"** shall have the same meaning assigned to them respectively in the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994);

(j) **"Lease Area"** means area granted for the purpose of undertaking prospecting or for mining operations of any mineral and /or minor minerals;

(k) **"Mining"** means operation undertaken for the purpose of wining any Mineral or Minor Minerals;

(l) **"Managing Committee"** means the Committee formed by the Settlor for the purpose of management of the affairs of the Trust;

(m) **"State level Monitoring Committee"** means a committee constituted under the Chairmanship of the Chief Minister to lay down the broad policy framework for the overall management of the Trusts of all Districts;

(n) **"Settlor"** means The Government of Chhattisgarh, represented by the Secretary, Mineral Resources Department having its Headquarter at Naya Raipur;

(o) **"State Government"** means the Department of Mineral Resources, Government of Chhattisgarh;

(p) **"Trust"** means (the name of the District) District Mineral Foundation Trust created by the Settlor;

(q) **"Trust Deed"** means the deed executed in Form-A by the Settlor in favour of the Trustees;

(r) **"Trustee/Trustees"** means the Person(s) appointed by the Settlor for the purpose of governing the Trust;

(s) **"Year"** means a financial year beginning from April 1st and ending March 31st of the following year or part period thereof ending on March 31st.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

CHAPTER-II

DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST

3. **District Mineral Foundation Trust.** - (1) There shall be constituted a District Mineral Foundation for each revenue district of Chhattisgarh to be known as District Mineral Foundation Trust of the said district.

(2) The Trust shall be a perpetual body and shall have a common seal.

(3) The Settlor shall notify the trustees of the District Mineral Foundation Trust.

(4) The Trust shall be a nonprofit body.

(5) The Trust shall be deemed to have come into existence with effect from the 12th day of January, 2015.

4. **Name and Location of the Trust.** -The Trust shall be known as the (name of the District) District Mineral Foundation Trust and its office shall be located in the headquarters of the District.

5. **Objects of the Trust.** - The object of the District Mineral Foundation Trust shall be to work for the interest and benefit of persons and areas affected by mining or mining related operations in such manner as specified in these Rules.

6. **Identification of affected areas and people.** -

(1) Affected Area shall include-

(a) directly affected area – where direct mining-related operations such as excavation, mining, blasting, beneficiation and waste disposal (overburdened dumps, tailing ponds, transport corridors etc.), etc. are located. These includes:-

(i) villages and Gram Panchayats within which the mines are situated and are operational. Such mining areas may extend to neighboring village, block or district of state.

(ii) villages, in which families displaced by mines are settled/rehabilitated by the project authorities.

(iii) villages, which significantly depend on the mining areas for meeting their economic needs and have usufruct and traditional rights over the project areas, for instance, for grazing, collection of minor forest produce etc. should be considered as directly affected areas.

(b) Indirectly affected areas– Such areas where local population is adversely affected on account of economic, social and environmental consequences due to mining-related operations. The major negative impacts of mining could be by way of deterioration of water, soil and air quality, reduction in stream flows and depletion of ground water, congestion and pollution due to mining operations, transportation of minerals, increased burden on existing infrastructure and resources.

(c) An area within such radius/distance from a mine or cluster of mines as may be specified by the Collector (within the district) and by the State Government (beyond the District), irrespective of whether the said area falls within the district concerned or adjacent/adjoining district/districts.

(d) On the basis of the above the Trust shall prepare and maintain an updated list of such directly and indirectly affected areas by mining related operations.

(2) "Affected People" includes:-

(a) People living/working in affected areas and the following shall be included under directly affected persons:-

(i) 'Affected family' as defined under Section 3 (c) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013).

(ii) 'Displaced family' as defined under Section 3 (k) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013).

(iii) Any other as appropriately identified by the concerned Gram Sabha.

(b) Persons affected by mining should also include those people who have legal and occupational rights over the land being mined, and also those with usufruct and traditional rights.

(c) Affected families should be identified, as far as possible, in consultation with elected representatives of Gram Sabha.

(d) The Trust shall prepare and maintain an updated list of such affected persons/local communities.

7. **Appointments and Declaration. –** (1) The Settlor shall appoint the persons, as mentioned in Rule 10 of the District Mineral Foundation Rules, as the trustees of the District Mineral Foundation Trust, that is created through the Trust Deed, and the Trustees shall accept such appointment on the terms and conditions mentioned in the Trust Deed.

(2) The Trustees appointed by official designation shall continue as Trustees during the period they are holding the post and the designation and would be deemed to have ceased to be the Trustees once they cease to hold the office by virtue of which they were so appointed i.e. ex officio and their successors in office shall be deemed to have been appointed as Trustees in their place with effect from the date of their acquiring such official designation.

(3) The term of appointment for the nominated Trustees shall be for three years with effect from the date of their appointment as Trustees and the Settlor may thereafter renew their appointment for another term or may nominate other persons in their place:

Provided that the term of such nominated trustees shall in no case exceed two terms of three years each.

(4) The Settlor may at any time increase the number of Trustees in any of the categories and for such term as might be deemed fit by the Settlor.

(5) The Settlor may at any time remove any of the trustees and may appoint any other person as the Trustee at its sole discretion. The trustee so removed by the Settlor, shall cease to be a Trustee with effect from the date of such removal.

(6) The TRUSTEES shall have the possession of the Trust Fund which is subjected to the powers and provisions herein declared and contained concerning the same and the TRUSTEES shall have the power at any time or times during the Trust Period to accept any Property from any person or persons by the provisions of any other trust or otherwise to the intent that the same shall be held by or on behalf of the TRUSTEES as an accretion to the Trust Fund.

CHAPTER-III

CONSTITUTION OF THE TRUST

8. **Management of the Trust.** - The Management of the Trust shall vest in the Governing Council, which shall consist of all the Trustees of the Trust. However, the Managing Committee shall manage the day-to-day management of the Trust. The Settlor may however decide to alter the composition of the Managing Committee at any time. The powers and functions of the Governing Council and of the Managing Committee shall be such as contained in these Rules.

9. **Trustees of the Trust.** - There shall be Trustees, to govern the affairs of the Trust, appointed by the Settlor.

10. **Governing Council.** -. The Trustees shall be Officers of the State Government Departments holding the Trusteeship *ex officio* except that of the Public Representatives who shall be appointed by the Settlor for a specific period not exceeding 3 years. The nominated members shall not be eligible for reappointment for more than two terms. The Collector shall appoint not more than three representatives from among the Mineral Concession Holders for a specific period not more than 3 years. The Trustees shall be as follows:

No.	Name of the Post/Details of the Trustee	Designation in the Trust
((1)	(2)	(3)
1.	Collector of the concerned district	Ex officio Chairperson
2.	Three Public Representatives (Nominated by the Settlor)	Members
3.	Up to three Representatives from among the Mineral Concession Holders in the District (Nominated by the Collector)	Members
4.	Any two Sarpanchs of Gram Panchayats of directly affected areas(Nominated by the Collector)	Members
5.	Chief Executive Officer, Zila Panchayat	Ex officio Member Secretary
6.	Superintendent of Police	Ex Officio Member
7.	Divisional Forest Officer	Ex Officio Member
8.	Deputy Director(Mineral Administration)/ Mining Officer	Ex Officio Member
9.	Deputy Director Panchayat	Ex Officio Member
10.	Superintending Engineer/Executive Engineer Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd;	Ex Officio Member
11.	District Education Officer	Ex Officio Member
12.	Assistant Commissioner Tribal Welfare	Ex Officio Member
13.	Chief Medical and Health Officer	Ex Officio Member
14.	Deputy Director Agriculture	Ex Officio Member
15.	Deputy/Assistant Director Horticulture	Ex Officio Member
16.	Executive Engineer, Public Works Department	Ex Officio Member
17.	Executive Engineer, Rural Engineering Services	Ex Officio Member
18.	Executive Engineer, Water Resources Department	Ex Officio Member
19.	Executive Engineer, Public Health Engineering Department	Ex Officio Member
20.	District Employment Officer	Ex Officio Member
21.	General Manager, District Trade and Industries Centre.	Ex Officio Member

11. Decisions of the Trustees. - (1) All decisions by the Trustees shall be taken in the meeting of the Governing Council and every meeting of the Governing Council shall be deemed to be a meeting of the Trust.

(2) All decisions of the Governing Council shall be taken by the majority of the members present and voting. In case of tie the Chairperson of the meeting shall have a casting vote.

(3) Unless agreed to by the Settlor the Trustees shall not amend any part of the Trust Deed.

(4) Trustees, Governing Council and the Managing Committee shall act in accordance with the directions, guidelines etc. issued by the Settlor from time to time.

12. Powers and Functions of the Governing Council. - The Governing Council, consisting of all the Trustees, shall be responsible for-

(1) Laying down and approving the procedure for functioning of the Trust and review the working of the trust from time to time.

(2) Approving of Annual Action Plan and the Annual Budget for the Trust which is put up for approval by the Management Committee. The Annual Action plan must be prepared and approved by the Governing Council at least one month before commencement of the year. The Annual Action Plan shall contain the list of schemes and projects with the tentative provisions thereof:

Provided that if for any reason whatsoever, the Governing Council could not prepare and accord approval to the Annual Plan and the Budget within the specified time, the Chairperson shall have Annual Action Plan and the Budget of the Trust prepared and shall have the powers to approve the same. The Budget so prepared shall be deemed to have been duly prepared and approved by the Governing Council.

Provided further that while preparing the annual plan for the next financial year, the sum total of the past commitment and liabilities spilling over shall be assessed. To maintain financial discipline and timely completion of project, the sum total of the past liabilities and commitments and the new schemes being proposed should not in any case exceed three times the expected inflows in the Trust Fund for the next financial year.

(3) Conducting social-audits of the developmental schemes/ works executed from the Trust Fund in the Gram Sabha.

(4) Approving such other expenditure, in furtherance of the objects of the Trust from the available Trust Fund in such manner as may be prescribed by the Settlor.

(5) Approving the recommendations of the Managing Committee;

(6) Approving the annual reports and audited accounts of the Trust within 90 days of the close of the previous year;

(7) Ratifying the appointment of the officers on deputation, contractual or outsourcing basis as decided by the Settlor to run the Trust.

13. Meetings of the Governing Council. – (1) The Governing Council shall meet as often as necessary but at least once every six months.

(2) The Meeting of Governing Council shall be convened as desired by the Chairperson.

(3) The Quorum for such meeting shall be one third of the total members of the Governing Council, if quorum for meeting is not fulfilled, then meeting shall be postponed for half an hour and shall be re-convened at same place on same day for which condition of quorum shall not be applicable.

14. Managing Committee. - The affairs of the Trust shall be managed on day-to-day basis by a Managing Committee, which shall consist of the following:-

S.No.	Name of the Post	Designation in the Trust
(1)	(2)	(3)
1.	Collector of the concerned District	Ex officio Chairperson
2.	Chief Executive Officer ,Zila Panchayat	Ex Officio Member Secretary
3.	Superintendent of Police	Ex Officio Member
4.	Divisional Forest Officer	Ex Officio Member
5.	Deputy Director Panchayat.	Ex Officio Member
6.	Chief Medical And Health Officer.	Ex Officio Member
7.	Superintending Engineer/Executive Engineer Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd;	Ex Officio Member
8.	Deputy Director(Mineral Administration)/ Mining Officer	Ex Officio Member
9.	Deputy Director Agriculture/Horticulture	Ex Officio Member
10.	Executive Engineer, Public Works Department	Ex Officio Member
11.	Executive Engineer, Public Health Engineering Department	Ex Officio Member
12.	Executive Engineer, Rural Engineering Services	Ex Officio Member
13.	District Education Officer	Ex Officio Member
14.	Assistant Commissioner Tribal Welfare	Ex Officio Member
15.	Executive Engineer, Water Resources Department	Ex Officio Member
16.	District Employment Officer	Ex Officio Member

17.	General Manager, District Trade and Industries Centre.	Ex Officio Member

15. Powers and Functions of the Managing Committee. - The Managing Committee shall-

(1) Exercise due diligence in carrying out its duties for protecting the interests of the Trust;

(2) Ensure timely collection of Contribution Fund from the concerned Lease Holders in accordance with the provisions of the Act and in the manner provided by the Settlor;

(3) Prepare the Master Plan / Vision Document for the activities of the Trust;

(4) Receive proposals /projects from the Gram Panchayats, Janpad Panchayats, Zila Panchayats and the Urban Local Bodies in the District , Government Departments and Board, Corporations and State/Central Public Sector Undertakings etc. However in Scheduled areas the Managing Committee can receive proposals/projects from the Gram Sabhas of the affected areas;

(5) Coordinate, consolidate and develop the Annual plan of the Trust and the Annual Budget of the Trust along with the proposed Schemes and Projects;

(6) Supervise and ensure the execution of the Annual Plan and the approved Schemes and Projects;

(7) Accord sanction orders to the projects, release and disburse the Trust Fund for the purpose;

(8) Operate the Trust Fund and to invest the same in a diligent manner and to open Bank Accounts in scheduled commercial Banks approved by the Reserve Bank of India in the Name of the Trust and operate such accounts and investments;

(9) Monitor the progress of the utilization of Trust funds.

(10) Place the audited accounts along with an Annual Report before the Governing Council for its approval within 60 days of close of financial year.

(11) Lay down and approve procedures for the functioning of the Trust.

(12) Appointing employees and auditors as per the directions of the Settlor, however, these appointments shall require ratification by the Governing Council.

(13) Prepare and maintain a website on which, inter-alia, following information will be hosted and kept updated:-

(a) Details of composition of the Trust/bodies of Trust (if any);

(b) List of areas and people affected by mining;

(c) Quarterly details of all contributions received from lessees and others;

(d) All meeting agenda, minutes and action taken reports of the Trust;

(e) Annual Plans and budget, work orders, Annual Report;

(f) Online status of ongoing works – implementation status/progress of all the projects/programs being undertaken should be made available on the website, including description of work, details of beneficiaries, estimated cost, name of implementing agencies, expected date of commencement and completion of work, financial and physical progress up to last quarter etc.;

(g) List of beneficiaries under various welfare programs; and

(h) Voluntary disclosures under Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005).

(14) Do all other things that are necessary for smooth functioning and management of the Trust.

16. Meetings of the Managing Committee. - (1) The Meeting of the Managing Committee shall be held at least four times in a financial year and it shall be convened as decided by the Chairperson.
(2) The Quorum for such meeting shall be one third of the total members of the Managing Committee, if quorum for meeting is not fulfilled, then meeting shall be postponed for half an hour and shall be re convened at same place on same day for which condition of quorum shall not be applicable.

CHAPTER-IV

STATE LEVEL MONITORING COMMITTEE

17. Composition. – (1) There shall be a State Level Monitoring Committee under the Chairmanship of The Chief Minister to lay down the broad policy framework to guide the overall functioning of the Trusts of all districts.

(2)The State Level Monitoring Committee shall comprise of the following members:-

.No.	Details of the Members	Designation
(1)	(2)	(3)
1.	The Chief Minister	Ex officio Chairman
2.	Minister for Finance	Ex officio Member
3.	Minister for Agriculture	Ex officio Member
4.	Minister for Forest	Ex officio Member
5.	Minister for Panchayati Raj and Rural Development	Ex officio Member
6.	Minister for Public Health And Engineering	Ex officio Member
7.	Minister for Tribal Development	Ex officio Member
8.	Minister for School Education	Ex officio Member
9.	Minister for Health and Family Welfare Department	Ex officio Member
10.	Chief Secretary	Ex officio Member
11.	Secretary, Mineral Resources	Ex officio Member Secretary

(3) With the permission of the Chairman such members may be invited from time to time as special invitees of the committee as the Chairman may deem fit.

18. Power and Functions of the State Level Monitoring Committee. -The State Level Monitoring Committee shall –

(1) Supervise and monitor the functioning of trusts of all Districts in conformation with the objects of the Trust.

(2) Distribute the Contribution Fund received from a mine or cluster of mines among the districts affected by mining related operations of that mine or cluster of mines.

(3) Shall cause to make an online monitoring system through a portal that contains all the annual plans, sanctions and approvals given by the Trust.

(4) Shall ensure maximum transparency through use of e-governance measures in the spending and monitoring of the Trust Fund.

CHAPTER-V

MANAGEMENT OF THE CONTRIBUTION FUND AND TRUST FUND

19. **The Contribution Fund. - (1)** The Contribution Fund shall be maintained by the Managing Committee of the Trust. The Contribution Fund shall comprise of the funds collected through contribution from the holders of a mining lease or a composite licence (prospecting licence-cum-mining lease)in the case of Minerals or a mining lease or a quarry lease or a quarry permit or composite licence (prospecting licence-cum-mining lease) in the case of Minor Minerals in the District.

(2) The Contribution Fund shall be kept in one or more scheduled commercial Banks approved by the Reserve Bank of India for keeping such public funds only in the name of the Trust and all accounts shall be operated under the joint signatures of the Chairperson of the Managing Committee and the Member-Secretary of the Managing Committee. The Managing Committee of the Trust shall maintain the books of accounts of this Fund.

20. **The Trust Fund. -** The Trust Fund of the District Mineral Foundation Trust would include the following: -

(1) The Initial Settlement made by the Settlor;

(2) Any grant, contribution or other capital assistance received from the Settlor or from any other Agency, Institution or Person;

(3) Such share of the **Contribution Fund** as defined in Rule 2 (1) (f) of these Rules from a mine or a cluster of mines as decided by the State Level Monitoring Committee.

(4) Investments and other deposits and the interest accrued thereon and any other income derived there from;

(5) All other Properties of the Trust and the Income derived there from or appreciation thereof; and

(6) Funds received from the **Contribution fund** of other districts as decided by The State Level Monitoring Committee.

21. **Operation of the Trust Fund.** -The Trust Fund shall be kept in one or more scheduled commercial Banks approved by the Reserve Bank of India for keeping such public funds only in the name of the Trust and all accounts shall be operated under the joint signatures of the Chairperson of the Managing Committee and the Member-Secretary of the Managing Committee. The Managing Committee of the Trust shall maintain the books of accounts of this Fund. This account shall be maintained separately from the Contribution Fund.

22. **Expenditure from the Trust Fund.** - The Funds available with the Trust shall be used for :-

(1) The overall development of the area affected by mining or mining related operations in accordance with the Annual Action Plan prepared by the Managing Committee and approved by the Governing Council of the Trust for the purpose;

(2) At least 60 % of the funds available with the Trust shall be utilized for High Priority areas like:-

(a) **Drinking water supply:-** centralized purification systems, water treatment plants, permanent/ temporary water distribution network including

standalone facilities for drinking water, laying of piped water supply system.

(b) **Environment preservation and pollution control measures:-** effluent treatment plants, prevention of pollution of streams, lakes, ponds, ground water, other water sources in the region, measure for controlling air and dust pollution caused by mining operations and dumps, mine drainage system, mine pollution prevention technologies, and measures for working or abandoned mines and other air, water & surface pollution control mechanisms required for environment-friendly and sustainable mine development.

(c) **Health care:-** the focus must be on creation of primary / secondary health care facilities in the affected areas. The emphasis should not be only on the creation of the health care infrastructure, but also on provision of necessary staffing, equipment and supplies required for making such facilities effective. To that extent, the effort should be to supplement and work in convergence with the existing health care infrastructure, the expertise available with the National Institute of Miners' Health may also be drawn upon to design special infrastructure needed to take care of mining related illnesses and diseases. Group Insurance Scheme for health care may be implemented for mining affected persons.

(d) **Education:-** construction of educational institutes and vocational training centres, additional class rooms, laboratories, libraries, Art and crafts room, toilet blocks, drinking water provisions Residential Hostels for students/teachers in remote areas,, sports infrastructure, engagement of teachers/other supporting staff, e-learning setup ,other arrangement of transport facilities for students (bus/van/cycles/rickshaws etc.) and nutrition related programs.

(e) **Agriculture and allied activities:-** Development of activities related to agriculture & allied activities and agro forestry. Assistance to farmers through provision of seed mini kits, financial assistance for agricultural implements and micro irrigation facilities including drip irrigation, financial assistance for bore wells and pump energisation. Assistance to farmers for allied activities of agriculture such as dairy, poultry, fisheries agro forestry etc. Forest right holders under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) shall also be eligible for these assistance.

(f) **Welfare of Women and Children:-** Special programmes for addressing problems of maternal and child health, malnutrition, infectious diseases, etc.

(g) **Welfare of aged and disabled people:-** Special program for welfare of aged and disabled people.

(h) **Skill development and Employment:-** skill development for livelihood support, income generation and economic activities for local eligible persons. The projects /schemes may include training, development of skill development centre, self employment schemes, support to Self Help Groups and provision of forward and backward linkages for such self-employment economic activities, promotion of Innovation, Entrepreneurship and Assistance to Incubation centre.

(i) **Sanitation :-** collection, transportation & disposal of waste, cleaning of public places, provision of proper drainage & Sewage Treatment Plant, provision for disposal of faecal sludge, provision of toilets and other related activities.

(3) Rest 40% of the Trust funds shall be spent on other priority areas like:-

(a) **Physical infrastructure**- providing required physical infrastructure such as roads, bridges, railways, waterways, airports, industrial parks/ clusters and other industrial infrastructure etc.;

(b) **Irrigation** - developing of irrigation, adoption of suitable and advanced irrigation techniques;

(c) **Energy and Watershed Development**- Electrification of households from conventional electricity and renewable sources of energy and strengthening of electricity infrastructure. Development of alternate source of energy (including micro-hydel) and rainwater harvesting system. Development of orchards, integrated farming and economic forestry and restoration of catchments.

(d) Any other infrastructure work that the State Government may direct from time to time.

(4) Various development and infrastructure related projects of Government departments, Corporations and Boards through direct funding method, Public Private partnership mode ;

(5) Matching/gap filling of arrangement for qualified human resources like doctors, paramedics and teachers etc;

(6) Supplementing Government schemes/programmes related to areas mentioned in sub-rule (2) and (3);

(7) Training and capacity building of Gram Sabhas for planning and monitoring of various developmental schemes executed under the Trust Funds;

(8) An amount not exceeding 5% or Rs. One crore, whichever is less, of the Trust Fund actually received by the Trust in the financial year in a District may be spent by the Trust for meeting its administrative or establishment expenses in that financial Year:

Provided that the upper limit for meeting its administrative or establishment expenses may be increased from time to time by the Settlor; and

(9) A reasonable sum of annual receipt should be kept as endowment for providing sustainable livelihood.

23. **Works prohibited.** - The State Level Monitoring Committee may prohibit certain work/works or activities which may not be beneficial to fulfil the objectives of the Trust.

24. **Charging of expenses.** - The Trustees shall be entitled to charge the Trust Fund with the following expenses:-

(1) All expenses properly incurred in the operation or execution of the Trust and for the realization, preservation or benefit of the investments and assets comprising of the Trust Fund and for the protection of the interests of the Trust;

(2) All expenses (including expenses incidental to execution and/or registration of any agreement or other deeds) incurred by the Trustees for obtaining the Contributions and/or any other resources, which may accrue;

(3) All expenses in connection with any legal proceedings by or against the Trustees concerning the affairs of the Trust including professional fees and costs of any legal adviser;

(4) All legal and statutory expenses incurred in the operation or execution of the Trust including all levies, duties and other charges paid/ payable in connection with the affairs of the Trust; and

(5) All expenses in connection with the holding of its meetings, and other proceedings and expenditure incurred on planning, execution, inspections, reviews and preparation of projects, hiring of consultants, third party inspections, auditors and such other expenses incidental thereof.

25. Accounts and Audit. – (1) The Managing Committee shall maintain or cause to be maintained proper books of accounts, documents and records with respect to the Trust Fund to give a true and fair picture of the affairs of the Trust;

(2) The accounts of the Trust shall be audited at least on completion of year by a qualified auditor;

(3) The auditors of the Trust shall be appointed by the Governing Council from the List of Chartered Accountants empanelled by Comptroller and Auditor General of India, on such terms and conditions as decided by the Governing Council;

(4) The auditors may be removed and replaced by the Governing Council;

(5) The Settlor may appoint an auditor or auditors or may request the Accountant General of the State for audit of a particular year or period on such terms as the Settlor may so decide;

(6) The Trust shall forward the approved Budget and Annual Plan along with approved Schemes and Projects for the next financial year, to the Zila Panchayat, District Administration and the State Government for publication on their respective websites;

(7) The Trust shall prepare a quarterly progress report in physical and financial terms in respect of the approved Schemes and Projects within 45 days of the close of the quarter and forward it to the Zila Panchayat and District Administration, immediately thereafter for publication on their respective websites;

(8) Every year, within three months from the date of closure of the financial year, the Trust shall cause to prepare an Annual Report on its activities for the respective financial year and place it before the Trust;

(9) The Trust shall forward the approved Annual report and the approved Audit Report immediately after their approval by the Governing Council within three months of close of Financial Year to the Zila Panchayat ,and to the State Government along with Audit Report for publication on their respective websites; and

(10) The Annual Report will be submitted to the Government within one month from the date of its approval by the agencies above and will also be hosted on the website of the Trust.

CHAPTER-VI

ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS

26. Arrangement of the Staff. - (1) Departments of the State Government shall provide services of the personnel under their control including employees working in the District in various departments for management of the Trust and for execution of the Annual Plan as may be required for the purpose.

(2) The Trust may request the Settlor to provide required number of core personnel from its departments or from regular employees of the State Government or such other cadre, for providing administrative and technical assistance to the Trust. Services of such personnel shall continue to remain in their own respective cadres. This expenditure would be within the 5% given in these Rules for administrative and establishment expenses.

(3) The Settlor shall have the power to determine the service conditions of officials and auditors to manage the day to day affairs of the trust. However these powers may be delegated by the Settlor to the Trust from time to time.

(4) The Settlor shall have the power to decide the setup of the staff to run the trust in the District and decide whether to recruit the staff or take on deputation or appoint on contractual basis.

(5) The Trust may also engage service providers to outsource such services as may be needed for smooth functioning of the Trust and may provide for incurring contingent expenditure for its functioning.

27. Liability of Trustees. – (1) The Trustees shall not be liable on account of anything done in good faith with due diligence. The Trustees shall also not be liable or responsible for any banker, broker, custodian or other person in whose hands any security, in good faith, be deposited or placed nor for the deficiency or insufficiency in the value of any investments of the Trust Fund nor otherwise for any involuntary loss.

(2) The Trustees and every attorney or agent appointed by the Trustees, shall be entitled to be indemnified out of the Trust Fund in respect of all liabilities, losses and expenses incurred in execution of the Trust, other than those arising out of gross negligence and/or willful misconduct, provided that such indemnity shall not in any event exceed the total of the Contributions.

28. Trustees Remuneration. - The Trustees shall not be entitled to any remuneration for their services. The Nominated Members among the Trustees shall be paid a certain fee decided by the Settlor as sitting fee per meeting for the actual Trust meetings attended by them. Ex Officio members of the Trust are not entitled for any such sitting fee.

29. Execution of Works / Contracts. – (1) Works/goods may be procured by the Trust after following the due procedure prescribed by the State Government for such procurement.

(2) As far as possible, the works undertaken by the Trust shall be executed only through Government departments, agencies and public sector undertakings normally undertaking such works which will follow the relevant norms applicable to the organization while executing or awarding contracts.

(3) Technical approval and supervision of the work will be looked after by officers competent to do so under the administrative delegation of powers as applicable to the department concerned.

(4) In respect of such works which cannot be executed through Government departments, agencies or public sector undertakings, the Managing Committee may award the work to any other competent and sound agencies following a transparent process, after obtaining prior approval of the Governing Council.

(5) Transfer of fund to all agencies and beneficiaries shall be into their bank account.

CHAPTER-VII

MISCELLANEOUS

30. Special Provisions for Schedule Areas. - In respect of villages affected by mining situated within the scheduled areas-

(1) Approval of the Gram Sabha shall be required:-

(a) For all plans, programs and projects to be taken up by Gram Panchayats;

(b) Identification of beneficiaries under the existing guidelines of the Government.

(2) Report on the works undertaken in the respective village shall be furnished to the Gram Sabha after completion of every financial year.

31. **Amendment to the Trust Deed.** - The Trust deed may be amended from time to time by the Trustees only with the prior concurrence of the Settlor and not otherwise.

32. **Power of Settlor to include or ban any scheme/ project.** - The Settlor shall have power to include/ban any scheme/project or a concept aimed at the welfare of the areas and people affected by mining or mining related operations.

33. **Clarification.** - Any clarifications so required for proper and smooth implementation of this Trust Deed shall be issued by the Settlor as and when required.

34. **The Seal of the Trust.** -The Trustees, in a meeting of the Governing Council may decide to provide a Seal for the purpose of the Trust and shall have power from time to time to destroy the same and substitute a new seal in lieu thereof. The Seal of the Trust shall remain in the custody of the Chairperson of the Managing Committee and the Chairperson shall have the authority to use the same for and on behalf of the Trust.

35. **Revocation.** - This Trust is revocable at the discretion of the Settlor. The Trust shall continue to exist till such time as may be decided by the Settlor. At the time of extinguishment of the trust, all the assets and liabilities of the Trust shall be transferred to the State Government.

36. **Power of Government to relax the operation of these rules.** - State Government may, for the reasons to be recorded, and by an order in writing, relax the application of any of the provisions of these rules to such extent and subject to such conditions as may be specified in the said order.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EFFAT ARA, Deputy Secretary.

FORM-A

DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST DEED

THIS DEED OF TRUST EXECUTED AT ________ON THIS ____DAY OF ____________MONTH IN THE YEAR TWO THOUSAND _______.

BY

THE GOVERNMENT OF CHHATTISGARH, represented by the Secretary, Mineral Resources Department, Government of Chhattisgarh having its Headquarter at Naya Raipur, Chhattisgarh herein after called "the SETTLOR", OF THE ONE PART.

IN FAVOUR OF

The following TRUSTEES of the OTHER PART which expression shall, unless repugnant to or inconsistent with the context, mean and include the successors occupying the posts by designation:

S.No.	Name	Designation in the Governing Council

WHEREAS, Section 9B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957 (No. 67 of 1957) provides for establishment of a District Mineral Foundation Trust, a non-profit body, by the State Government, with an objective to work for the interest and benefit of persons, and areas affected by mining related operations in such manner as may be prescribed by the State Government;

WHEREAS, the SETTLOR for this purpose has decided to set up a trust as an entity under the State Government for "no profit" and for playing an important role for common good of the community and for using the fund of the trust for the interest and benefit of persons, and areas affected by mining related operations in such manner as may be prescribed by the State Government; and

WHEREAS, the SETTLOR being desirous of establishing the District Mineral Foundation Trust has placed under the control of the TRUSTEES a sum of Rs.1,000/-(Rupees one thousand only), which sum is hereinafter referred to as the "INITIAL SETTLEMENT".

NOW THIS DEED OF TRUST WITNESSETH AS FOLLOWS:

1. **Definitions.** - (1) In this deed, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Act"** means the Mines and Minerals (Development And Regulation) Act, 1957(No. 67 of 1957);

(b) **"Affected Areas"** means areas affected by mining or mining related operations from a mine or cluster of mines within the District as notified by the Collector and areas affected by mining or mining related operations from a mine or cluster of mines beyond the District as notified by the State Government from time to time;

(c) **"Auditor"** means the Auditor/Chartered Accountant appointed by the Governing Council, and include the Accountant General of the State or other Auditors nominated by the Settlor;

(d) **"Collector"** shall have the same meaning assigned to him/her under the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);

(e) **"Contribution"** means the contribution to be collected in the Trust from the holders of a mining lease or a composite license (prospecting license-cum-mining lease) in case of Minerals or a mining lease or a quarry lease or a quarry permit in

the case of Minor Minerals in the District at such percentage of the royalty to be paid in terms of the Second Schedule of the Act, as may be prescribed by the Central Government in the case of Minerals and such percentage of royalty to be paid in the case of Minor Minerals as may be prescribed by the State Government from time to time;

(f) **"Contribution Fund"** means the funds collected through contribution from the holders of a mining lease or a composite license (prospecting license-cum-mining lease)in the case of Minerals or a mining lease or a quarry lease or a quarry permit in the case of Minor Minerals in the District at such percentage of the royalty paid in terms of the Second Schedule of the Act, as may be prescribed by the Central Government in the case of Minerals and such percentage of royalty paid in the case of Minor Minerals as may be prescribed by the State Government from time to time, or any other funds received by the Trust;

(g) **"Governing Council"** means all the trustees of the District Mineral Foundation Trust;

(h) **"Gram Panchayat Janpad Panchayat, Zila Panchayat and Gram Sabha"** shall have the same meaning assigned to them respectively in the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994);

(i) **"Lease Area"** means area granted for the purpose of undertaking prospecting or for mining operations of any mineral and /or minor minerals;

(j) **"Mining"** means operation undertaken for the purpose of wining any Mineral or Minor Minerals;

(k) **"Managing Committee"** means the Committee formed by the Settlor for the purpose of management of the affairs of the Trust;

(l) **"State level Monitoring Committee"** means a committee constituted under the Chairmanship of the Chief Minister to lay down the broad policy framework for the overall management of the Trusts of all Districts;

(m) **"Settlor"** means The Government of Chhattisgarh, represented by the Secretary, Mineral Resources Department having its Headquarter at Naya Raipur;

(n) **"State Government"** means the Department of Mineral Resources, Government of Chhattisgarh;

(o) **"Trust"** means (the name of the District) District Mineral Foundation Trust created by the Settlor;

(p) **"Trust Deed"** means the deed executed in Form-A by the Settlor in favour of the Trustees;

(q) **"Trustee/Trustees"** means the Person(s) appointed by the Settlor for the purpose of governing the Trust;

(r) **"Year"** means a financial year beginning from April 1st and ending March 31st of the following year or part period thereof ending on March 31st.

(2) Words and expressions used in this deed but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

CHAPTER-II

DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST

2. **District Mineral Foundation Trust.** - (1) There shall be constituted a District Mineral Foundation for each revenue district of Chhattisgarh to be known as District Mineral Foundation Trust of the said district.

(2) The Trust shall be a perpetual body and shall have a common seal.

(3) The Settlor shall notify the trustees of the District Mineral Foundation Trust.

(4) The Trust shall be a nonprofit body.

(5) The Trust shall be deemed to have come into existence with effect from the 12th day of January, 2015.

3. **Name and Location of the Trust.** -The Trust shall be known as the (name of the District) District Mineral Foundation Trust and its office shall be located in the headquarters of the District.

4. **Objects of the Trust.** - The object of the District Mineral Foundation Trust shall be to work for the interest and benefit of persons and areas affected by mining or mining related operations in such manner as specified in the Chhattisgarh Mineral Foundation Trust Rules.

5. **Identification of affected areas and people. -**

(1) Affected Area shall include-

(a) Directly affected area – where direct mining-related operations such as excavation, mining, blasting, beneficiation and waste disposal (overburdened dumps, tailing ponds, transport corridors etc.), etc. are located. These includes:-

(i) villages and Gram Panchayats within which the mines are situated and are operational. Such mining areas may extend to neighboring village, block or district of state.

(ii) villages, in which families displaced by mines are settled/rehabilitated by the project authorities.

(iii) villages, which significantly depend on the mining areas for meeting their economic needs and have usufruct and traditional rights over the project areas, for instance, for grazing, collection of minor forest produce etc. should be considered as directly affected areas.

(b) Indirectly affected areas– Such areas where local population is adversely affected on account of economic, social and environmental consequences due to mining-related operations. The major negative impacts of mining could be by way of deterioration of water, soil and air quality, reduction in stream flows and depletion of ground water, congestion and pollution due to mining operations, transportation of minerals, increased burden on existing infrastructure and resources.

(c) An area within such radius/distance from a mine or cluster of mines as may be specified by the Collector (within the district) and by the State Government (beyond the District), irrespective of whether the said area falls within the district concerned or adjacent/adjoining district/districts.

(d) On the basis of the above the Trust shall prepare and maintain an updated list of such directly and indirectly affected areas by mining related operations.

(2) "Affected People" includes:-

(a) People living/working in affected areas and the following shall be included under directly affected persons:-

(i) 'Affected family' as defined under Section 3 (c) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013).

(ii) 'Displaced family' as defined under Section 3 (k) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013).

(iii) Any other as appropriately identified by the concerned Gram Sabha.

(b) Persons affected by mining should also include those people who have legal and occupational rights over the land being mined, and also those with usufruct and traditional rights.

(c) Affected families should be identified, as far as possible, in consultation with elected representatives of Gram Sabha.

(d) The Trust shall prepare and maintain an updated list of such affected persons/local communities.

6. **Appointments and Declaration. –** (1) The Settlor shall appoint the persons, as mentioned in clause 9 of the District Mineral Foundation Trust deed, as the trustees of the District Mineral Foundation Trust, that is created through the Trust Deed, and the Trustees shall accept such appointment on the terms and conditions mentioned in the Trust Deed.

(2) The Trustees appointed by official designation shall continue as Trustees during the period they are holding the post and the designation and would be deemed to have ceased to be the Trustees once they cease to hold the office by virtue of which they were so appointed i.e. ex officio and their successors in office shall be deemed to have been appointed as Trustees in their place with effect from the date of their acquiring such official designation.

(3) The term of appointment for the nominated Trustees shall be for three years with effect from the date of their appointment as Trustees and the Settlor may thereafter renew their appointment for another term or may nominate other persons in their place:

Provided that the term of such nominated trustees shall in no case exceed two terms of three years each.

(4) The Settlor may at any time increase the number of Trustees in any of the categories and for such term as might be deemed fit by the Settlor.

(5) The Settlor may at any time remove any of the trustees and may appoint any other person as the Trustee at its sole discretion. The trustee so removed by the Settlor, shall cease to be a Trustee with effect from the date of such removal.

(6) The TRUSTEES shall have the possession of the Trust Fund which is subjected to the powers and provisions herein declared and contained concerning the same and the TRUSTEES shall have the power at any time or times during the Trust Period to accept any Property from any person or persons by the provisions of any other trust or otherwise to the intent that the same shall be held by or on behalf of the TRUSTEES as an accretion to the Trust Fund.

CHAPTER-III

CONSTITUTION OF THE TRUST

7. **Management of the Trust.** - The Management of the Trust shall vest in the Governing Council, which shall consist of all the Trustees of the Trust. However, the Managing Committee shall manage the day-to-day management of the Trust. The Settlor may however decide to alter the composition of the Managing Committee at any time. The powers and functions of the Governing Council and of the Managing Committee shall be such as contained in this deed.

8. **Trustees of the Trust.** - There shall be Trustees, to govern the affairs of the Trust, appointed by the Settlor.

9. **Governing Council.** -. The Trustees shall be Officers of the State Government Departments holding the Trusteeship *ex officio* except that of the Public Representatives who shall be appointed by the Settlor for a specific period not exceeding 3 years. The nominated members shall not be eligible for reappointment

for more than two terms. The Collector shall appoint not more than three representatives from among the Mineral Concession Holders for a specific period not more than 3 years. The Trustees shall be as follows:

S.No.	Name of the Post/Details of the Trustee	Designation in the Trust
(1)	(2)	(3)
1.	Collector of the concerned district	Ex officio Chairperson
2.	Three Public Representatives (Nominated by the Settlor)	Members
3.	Up to three Representatives from among the Mineral Concession Holders in the District (Nominated by the Collector)	Members
4.	Any two Sarpanchs of Gram Panchayats of directly affected areas(Nominated by the Collector)	Members
5.	Chief Executive Officer, Zila Panchayat	Ex officio Member Secretary
6.	Superintendent of Police	Ex Officio Member
7.	Divisional Forest Officer	Ex Officio Member
8.	Deputy Director(Mineral Administration)/ Mining Officer	Ex Officio Member
9.	Deputy Director Panchayat	Ex Officio Member
10.	Superintending Engineer/Executive Engineer Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd;	Ex Officio Member
11.	District Education Officer	Ex Officio Member
12.	Assistant Commissioner Tribal Welfare	Ex Officio Member
13.	Chief Medical and Health Officer	Ex Officio Member
14.	Deputy Director Agriculture	Ex Officio Member
15.	Deputy/Assistant Director Horticulture	Ex Officio Member
16.	Executive Engineer, Public Works Department	Ex Officio Member
17.	Executive Engineer, Rural Engineering Services	Ex Officio Member
18.	Executive Engineer, Water Resources Department	Ex Officio Member
19.	Executive Engineer, Public Health Engineering Department	Ex Officio Member
20.	District Employment Officer	Ex Officio Member

21.	General Manager, District Traed and Industries Centre.	Ex Officio Member

10. **Decisions of the Trustees.** - (1) All decisions by the Trustees shall be taken in the meeting of the Governing Council and every meeting of the Governing Council shall be deemed to be a meeting of the Trust.

(2) All decisions of the Governing Council shall be taken by the majority of the members present and voting. In case of tie the Chairperson of the meeting shall have a casting vote.

(3) Unless agreed to by the Settlor the Trustees shall not amend any part of the Trust Deed.

(4) Trustees, Governing Council and the Managing Committee shall act in accordance with the directions, guidelines etc. issued by the Settlor from time to time.

11. **Powers and Functions of the Governing Council.** - The Governing Council, consisting of all the Trustees, shall be responsible for-

(1) Laying down and approving the procedure for functioning of the Trust and review the working of the trust from time to time.

(2) Approving of Annual Action Plan and the Annual Budget for the Trust which is put up for approval by the Management Committee. The Annual Action plan must be prepared and approved by the Governing Council at least one month before commencement of the year. The Annual Action Plan shall contain the list of schemes and projects with the tentative provisions thereof:

Provided that if for any reason whatsoever, the Governing Council could not prepare and accord approval to the Annual Plan and the Budget within the specified time, the Chairperson shall have Annual Action Plan and the Budget of the Trust prepared and shall have the powers to approve the same. The Budget so prepared shall be deemed to have been duly prepared and approved by the Governing Council.

Provided further that while preparing the annual plan for the next financial year, the sum total of the past commitment and liabilities spilling over shall be assessed. To maintain financial discipline and timely completion of project, the sum total of the past liabilities and commitments and the new schemes being proposed should not in any case exceed three times the expected inflows in the Trust Fund for the next financial year.

(3) Conducting social-audits of the developmental schemes/ works executed from the Trust Fund in the Gram Sabha.

(4) Approving such other expenditure, in furtherance of the objects of the Trust from the available Trust Fund in such manner as may be prescribed by the Settlor.

(5) Approving the recommendations of the Managing Committee;

(6) Approving the annual reports and audited accounts of the Trust within 90 days of the close of the previous year;

(7) Ratifying the appointment of the officers on deputation, contractual or outsourcing basis as decided by the Settlor to run the Trust.

12. **Meetings of the Governing Council.** – (1) The Governing Council shall meet as often as necessary but at least once every six months.

(2) The Meeting of Governing Council shall be convened as desired by the Chairperson.

(3) The Quorum for such meeting shall be one third of the total members of the Governing Council, if quorum for meeting is not fulfilled, then meeting shall be postponed for half an hour and shall be re-convened at same place on same day for which condition of quorum shall not be applicable.

13. Managing Committee. - The affairs of the Trust shall be managed on day-to-day basis by a Managing Committee, which shall consist of the following:-

S.No.	Name of the Post	Designation in the Trust
(1)	(2)	(3)
1.	Collector of the concerned District	Ex officio Chairperson
2.	Chief Executive Officer ,Zila Panchayat	Ex Officio Member Secretary
3.	Superintendent of Police	Ex Officio Member
4.	Divisional Forest Officer	Ex Officio Member
5.	Deputy Director Panchayat.	Ex Officio Member
6.	Chief Medical And Health Officer.	Ex Officio Member
7.	Superintending Engineer/Executive Engineer Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd;	Ex Officio Member
8.	Deputy Director(Mineral Administration)/ Mining Officer	Ex Officio Member
9.	Deputy Director Agriculture/Horticulture	Ex Officio Member
10.	Executive Engineer, Public Works Department	Ex Officio Member
11.	Executive Engineer, Public Health Engineering Department	Ex Officio Member
12.	Executive Engineer, Rural Engineering Services	Ex Officio Member
13.	District Education Officer	Ex Officio Member
14.	Assistant Commissioner Tribal Welfare	Ex Officio Member
15.	Executive Engineer, Water Resources Department	Ex Officio Member
16.	District Employment Officer	Ex Officio Member
17.	General Manager, District Trade and Industries Centre	Ex Officio Member

14. Powers and Functions of the Managing Committee. - The Managing Committee shall-

(1) Exercise due diligence in carrying out its duties for protecting the interests of the Trust;

(2) Ensure timely collection of Contribution Fund from the concerned Lease Holders in accordance with the provisions of the Act and in the manner provided by the Settlor;

(3) Prepare the Master Plan / Vision Document for the activities of the Trust;

(4) Receive proposals /projects from the Gram Panchayats, Janpad Panchayats, Zila Panchayats and the Urban Local Bodies in the District , Government Departments and Board, Corporations and State/Central Public Sector Undertakings etc. However in Scheduled areas the Managing Committee can receive proposals/projects from the Gram Sabhas of the affected areas;

(5) Coordinate, consolidate and develop the Annual plan of the Trust and the Annual Budget of the Trust along with the proposed Schemes and Projects;

(6) Supervise and ensure the execution of the Annual Plan and the approved Schemes and Projects;

(7) Accord sanction orders to the projects, release and disburse the Trust Fund for the purpose;

(8) Operate the Trust Fund and to invest the same in a diligent manner and to open Bank Accounts in scheduled commercial Banks approved by the Reserve Bank of India in the Name of the Trust and operate such accounts and investments;

(9) Monitor the progress of the utilization of Trust funds.

(10) Place the audited accounts along with an Annual Report before the Governing Council for its approval within 60 days of close of financial year.

(11) Lay down and approve procedures for the functioning of the Trust.

(12) Appointing employees and auditors as per the directions of the Settlor, however, these appointments shall require ratification by the Governing Council.

(13) Prepare and maintain a website on which, inter-alia, following information will be hosted and kept updated:-

(a) Details of composition of the Trust/bodies of Trust (if any);

(b) List of areas and people affected by mining;

(c) Quarterly details of all contributions received from lessees and others;

(d) All meeting agenda, minutes and action taken reports of the Trust;

(e) Annual Plans and budget, work orders, Annual Report;

(f) Online status of ongoing works – implementation status/progress of all the projects/programs being undertaken should be made available on the website, including description of work, details of beneficiaries, estimated cost, name of implementing agencies, expected date of commencement and completion of work, financial and physical progress up to last quarter etc.;

(g) List of beneficiaries under various welfare programs; and

(h) Voluntary disclosures under Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005).

(14) Do all other things that are necessary for smooth functioning and management of the Trust.

15. Meetings of the Managing Committee. - (1) The Meeting of the Managing Committee shall be held at least four times in a financial year and it shall be convened as decided by the Chairperson.

(2) The Quorum for such meeting shall be one third of the total members of the Managing Committee, if quorum for meeting is not fulfilled, then meeting shall be postponed for half an hour and shall be re convened at same place on same day for which condition of quorum shall not be applicable.

CHAPTER-IV
STATE LEVEL MONITORING COMMITTEE

16. Composition. – (1) There shall be a State Level Monitoring Committee under the Chairmanship of The Chief Minister to lay down the broad policy framework to guide the overall functioning of the Trusts of all districts.

(2) The State Level Monitoring Committee shall comprise of the following members:-

S.No.	Details of the Members	Designation
(1)	(2)	(3)
1.	The Chief Minister	Ex officio Chairman
2.	Minister for Finance	Ex officio Member
3.	Minister for Agriculture	Ex officio Member
4.	Minister for Forest	Ex officio Member
5.	Minister for Panchayati Raj and Rural Development	Ex officio Member
6.	Minister for Public Health And Engineering	Ex officio Member
7.	Minister for Tribal Development	Ex officio Member
8.	Minister for School Education	Ex officio Member
9.	Minister for Health and Family Welfare Department	Ex officio Member
10.	Chief Secretary	Ex officio Member
11.	Secretary, Mineral Resources	Ex officio Member Secretary

(3) With the permission of the Chairman such members may be invited from time to time as special invitees of the committee as the Chairman may deem fit.

17. Power and Functions of the State Level Monitoring Committee.- The State Level Monitoring Committee shall –

(1) Supervise and monitor the functioning of the trusts of all Districts in conformation with the objects of the Trust.

(2) Distribute the Contribution Fund received from a mine or cluster of mines among the districts affected by mining related operations of that mine or cluster of mines.

(3) Shall cause to make an online monitoring system through a portal that contains all the annual plans, sanctions and approvals given by the Trust.

(4) Shall ensure maximum transparency through use of e-governance measures in the spending and monitoring of the Trust Fund.

CHAPTER-V

MANAGEMENT OF THE CONTRIBUTION FUND AND TRUST FUND

18. The Contribution Fund. - (1) The Contribution Fund shall be maintained by the Managing Committee of the Trust. The Contribution Fund shall comprise of the funds collected through contribution from the holders of a mining lease or a composite licence (prospecting licence-cum-mining lease)in the case of Minerals or a mining lease or a quarry lease or a quarry permit or composite licence (prospecting licence-cum-mining lease) in the case of Minor Minerals in the District.

(2) The Contribution Fund shall be kept in one or more scheduled commercial Banks approved by the Reserve Bank of India for keeping such public funds only in the name of the Trust and all accounts shall be operated under the joint signatures of the Chairperson of the Managing Committee and the Member-Secretary of the Managing Committee. The Managing Committee of the Trust shall maintain the books of accounts of this Fund.

19. The Trust Fund. - The Trust Fund of the District Mineral Foundation Trust would include the following: -

(1) The Initial Settlement made by the Settlor;

(2) Any grant, contribution or other capital assistance received from the Settlor or from any other Agency, Institution or Person;

(3) Such share of the **Contribution Fund** as defined in clause 2 (1) (f) of this Deed from a mine or a cluster of mines as decided by the State Level Monitoring Committee.

(4) Investments and other deposits and the interest accrued thereon and any other income derived there from;

(5) All other Properties of the Trust and the Income derived there from or appreciation thereof; and

(6) Funds received from the **Contribution fund** of other districts as decided by The State Level Monitoring Committee.

20. Operation of the Trust Fund. -The Trust Fund shall be kept in one or more scheduled commercial Banks approved by the Reserve Bank of India for keeping such public funds only in the name of the Trust and all accounts shall be operated under the joint signatures of the Chairperson of the Managing Committee and the Member-Secretary of the Managing Committee. The Managing Committee of the Trust shall maintain the books of accounts of this Fund. This account shall be maintained separately from the Contribution Fund.

21. Expenditure from the Trust Fund. - The Funds available with the Trust shall be used for:-

(1) The overall development of the area affected by mining or mining related operations in accordance with the Annual Action Plan prepared by the Managing Committee and approved by the Governing Council of the Trust for the purpose;

(2) At least 60 % of the funds available with the Trust shall be utilized for High Priority areas like:-

(a) **Drinking water supply:-** centralized purification systems, water treatment plants, permanent/temporary water distribution network including standalone facilities for drinking water, laying of piped water supply system.

(b) **Environment preservation and pollution control measures:-** effluent treatment plants, prevention of pollution of streams, lakes, ponds, ground water, other water sources in the region, measure for controlling air and dust pollution

caused by mining operations and dumps, mine drainage system, mine pollution prevention technologies, and measures for working or abandoned mines and other air, water & surface pollution control mechanisms required for environment-friendly and sustainable mine development.

(c) **Health care:-** the focus must be on creation of primary / secondary health care facilities in the affected areas. The emphasis should not be only on the creation of the health care infrastructure, but also on provision of necessary staffing, equipment and supplies required for making such facilities effective. To that extent, the effort should be to supplement and work in convergence with the existing health care infrastructure. The expertise available with the National Institute of Miners' Health may also be drawn upon to design special infrastructure needed to take care of mining related illnesses and diseases. Group Insurance Scheme for health care may be implemented for mining affected persons.

(d) **Education:-** construction of educational institutes and vocational training centres, additional class rooms, laboratories, libraries, Art and crafts room, toilet blocks, drinking water provisions Residential Hostels for students/teachers in remote areas,, sports infrastructure, engagement of teachers/other supporting staff, e-learning setup ,other arrangement of transport facilities for students (bus/van/cycles/rickshaws etc.) and nutrition related programs.

(e) **Agriculture and allied activities:-** Development of activities related to agriculture & allied activities and agro forestry. Assistance to farmers through provision of seed mini kits, financial assistance for agricultural implements and micro irrigation facilities including drip irrigation, financial assistance for bore wells and pump energisation. Assistance to farmers for allied activities of agriculture such as dairy, poultry, fisheries agro forestry etc. Forest right holders under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) shall also eligible for these assistance.

(f) **Welfare of Women and Children:-** Special programmes for addressing problems of maternal and child health, malnutrition, infectious diseases, etc.

(g) **Welfare of aged and disabled people:-** Special program for welfare of aged and disabled people.

(h) **Skill development and Employment:-** skill development for livelihood support, income generation and economic activities for local eligible persons. The projects /schemes may include training, development of skill development centre, self employment schemes, support to Self Help Groups and provision of forward and backward linkages for such self-employment economic activities, promotion of Innovation, Entrepreneurship and Assistance to Incubation centre.

(i) **Sanitation :-** collection, transportation & disposal of waste, cleaning of public places, provision of proper drainage & Sewage Treatment Plant, provision for disposal of faecal sludge, provision of toilets and other related activities.

(3) Rest 40% of the Trust funds shall be spent on other priority areas like:-

(a) **Physical infrastructure-** providing required physical infrastructure such as roads, bridges, railways, waterways, airports, industrial parks/ clusters and other industrial infrastructure etc.;

(b) **Irrigation** - developing of irrigation, adoption of suitable and advanced irrigation techniques;

(c) **Energy and Watershed Development-** Electrification of households from conventional electricity and renewable sources of energy and strengthening of electricity infrastructure. Development of alternate source of energy (including micro-hydel) and rainwater harvesting system. Development of orchards, integrated farming and economic forestry and restoration of catchments.

(d) Any other infrastructure work that the State Government may direct from time to time.

(4) Various development and infrastructure related projects of Government departments, Corporations and Boards through direct funding method, Public Private partnership mode ;

(5) Matching/gap filling of arrangement for qualified human resources like doctors, paramedics and teachers etc;

(6) Supplementing Government schemes/ programmes related to areas mentioned in sub-clause (2) and (3);

(7) Training and capacity building of Gram Sabhas for planning and monitoring of various developmental schemes executed under the Trust Funds;

(8) An amount not exceeding 5% or Rs. one crore whichever is less of the Trust Fund actually received by the Trust in the financial year in a District may be spent by the Trust for meeting its administrative or establishment expenses in that financial Year:

Provided that the upper limit for meeting its administrative or establishment expenses may be increased from time to time by the Settlor; and

(9) A reasonable sum of annual receipt should be kept as endowment for providing sustainable livelihood.

22. Works prohibited. - The State Level Monitoring Committee may prohibit certain work/works or activities which may not be beneficial to fulfil the objectives of the Trust.

23. Charging of expenses. - The Trustees shall be entitled to charge the Trust Fund with the following expenses:-

(1) All expenses properly incurred in the operation or execution of the Trust and for the realization, preservation or benefit of the investments and assets comprising of the Trust Fund and for the protection of the interests of the Trust;

(2) All expenses (including expenses incidental to execution and/or registration of any agreement or other deeds) incurred by the Trustees for obtaining the Contributions and/ or any other resources, which may accrue;

(3) All expenses in connection with any legal proceedings by or against the Trustees concerning the affairs of the Trust including professional fees and costs of any legal adviser;

(4) All legal and statutory expenses incurred in the operation or execution of the Trust including all levies, duties and other charges paid/ payable in connection with the affairs of the Trust; and

(5) All expenses in connection with the holding of its meetings, and other proceedings and expenditure incurred on planning, execution, inspections, reviews and preparation of projects, hiring of consultants, third party inspections, auditors and such other expenses incidental thereof.

24. Accounts and Audit. – (1) The Managing Committee shall maintain or cause to be maintained proper books of accounts, documents and records with respect to the Trust Fund to give a true and fair picture of the affairs of the Trust;

(2) The accounts of the Trust shall be audited at least on completion of year by a qualified auditor;

(3) The auditors of the Trust shall be appointed by the Governing Council from the List of Chartered Accountants empanelled by Comptroller and Auditor General of India, on such terms and conditions as decided by the Governing Council;

(4) The auditors may be removed and replaced by the Governing Council;

(5) The Settlor may appoint an auditor or auditors or may request the Accountant General of the State for audit of a particular year or period on such terms as the Settlor may so decide;

(6) The Trust shall forward the approved Budget and Annual Plan along with approved Schemes and Projects for the next financial year, to the Zila Panchayat, District Administration and the State Government for publication on their respective websites;

(7) The Trust shall prepare a quarterly progress report in physical and financial terms in respect of the approved Schemes and Projects within 45 days of the close of the quarter and forward it to the Zila Panchayat and District Administration, immediately thereafter for publication on their respective websites;

(8) Every year, within three months from the date of closure of the financial year, the Trust shall cause to prepare an Annual Report on its activities for the respective financial year and place it before the Trust;

(9) The Trust shall forward the approved Annual report and the approved Audit Report immediately after their approval by the Governing Council within three months of close of Financial Year to the Zila Panchayat ,and to the State Government along with Audit Report for publication on their respective websites; and

(10) The Annual Report will be submitted to the Government within one month from the date of its approval by the agencies above and will also be hosted on the website of the Trust.

CHAPTER-VI

ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS

25. **Arrangement of the Staff.** - (1) Departments of the State Government shall provide services of the personnel under their control including employees working in the District in various departments for management of the Trust and for execution of the Annual Plan as may be required for the purpose.

(2) The Trust may request the Settlor to provide required number of core personnel from its departments or from regular employees of the State Government or such other cadre, for providing administrative and technical assistance to the Trust. Services of such personnel shall continue to remain in their own respective cadres. This expenditure would be within the 5% given in the Chhattisgarh Mineral Foundation Trust Rules for administrative and establishment expenses.

(3) The Settlor shall have the power to determine the service conditions of officials and auditors to manage the day to day affairs of the trust. However these powers may be delegated by the Settlor to the Trust from time to time.

(4) The Settlor shall have the power to decide the setup of the staff to run the trust in the District and decide whether to recruit the staff or take on deputation or appoint on contractual basis.

(5) The Trust may also engage service providers to outsource such services as may be needed for smooth functioning of the Trust and may provide for incurring contingent expenditure for its functioning.

26. **Liability of Trustees.** – (1) The Trustees shall not be liable on account of anything done in good faith with due diligence. The Trustees shall also not be liable or responsible for any banker, broker, custodian or other person in whose hands any security, in good faith, be deposited or placed nor for the deficiency or insufficiency in the value of any investments of the Trust Fund nor otherwise for any involuntary loss.

(2) The Trustees and every attorney or agent appointed by the Trustees, shall be entitled to be indemnified out of the Trust Fund in respect of all liabilities, losses and expenses incurred in execution of the Trust, other than those arising out of gross negligence and/or willful misconduct, provided that such indemnity shall not in any event exceed the total of the Contributions.

27. Trustees Remuneration. - The Trustees shall not be entitled to any remuneration for their services. The Nominated Members among the Trustees shall be paid a certain fee decided by the Settlor as sitting fee per meeting for the actual Trust meetings attended by them. Ex Officio members of the Trust are not entitled for any such sitting fee.

28. Execution of Works / Contracts. – (1) Works/goods may be procured by the Trust after following the due procedure prescribed by the State Government for such procurement.

(2) As far as possible, the works undertaken by the Trust shall be executed only through Government departments, agencies and public sector undertakings normally undertaking such works which will follow the relevant norms applicable to the organization while executing or awarding contracts.

(3) Technical approval and supervision of the work will be looked after by officers competent to do so under the administrative delegation of powers as applicable to the department concerned.

(4) In respect of such works which cannot be executed through Government departments, agencies or public sector undertakings, the Managing Committee may award the work to any other competent and sound agencies following a transparent process, after obtaining prior approval of the Governing Council.

(5) Transfer of fund to all agencies and beneficiaries shall be into their bank account.

CHAPTER-VII

MISCELLANEOUS

29. Special Provisions for Schedule Areas. - In respect of villages affected by mining situated within the scheduled areas-

(1) Approval of the Gram Sabha shall be required:-

(a) For all plans, programs and projects to be taken up by Gram Panchayats;

(b) Identification of beneficiaries under the existing guidelines of the Government.

(2) Report on the works undertaken in the respective village shall be furnished to the Gram Sabha after completion of every financial year.

30. Amendment to the Trust Deed. - The Trust deed may be amended from time to time by the Trustees only with the prior concurrence of the Settlor and not otherwise.

31. Power of Settlor to include or ban any scheme/ project. - The Settlor shall have power to include/ban any scheme/project or a concept aimed at the welfare of the areas and people affected by mining or mining related operations.

32. Clarification. - Any clarifications so required for proper and smooth implementation of this Trust Deed shall be issued by the Settlor as and when required.

33. **The Seal of the Trust.** -The Trustees, in a meeting of the Governing Council may decide to provide a Seal for the purpose of the Trust and shall have power from time to time to destroy the same and substitute a new seal in lieu thereof. The Seal of the Trust shall remain in the custody of the Chairperson of the Managing Committee and the Chairperson shall have the authority to use the same for and on behalf of the Trust.

34. **Revocation.** - This Trust is revocable at the discretion of the Settlor. The Trust shall continue to exist till such time as may be decided by the Settlor. At the time of extinguishment of the trust, all the assets and liabilities of the Trust shall be transferred to the State Government.

35. **Power of Government to relax the operation of this deed.** - State Government may, for the reasons to be recorded, and by an order in writing, relax the application of any of the provisions of this deed to such extent and subject to such conditions as may be specified in the said order.

SCHEDULE

At present, the Trust has no property or assets, either movable or immovable, other than the Trust Fund and the immovable properties, donated by the SETTLOR, as described in the Schedule below:

1. **Cash contribution to the Corpus Fund of the Trust of Rupees -------------- (in words Rupees -- only)**
2. **Properties of** ---
3. **Assets of** ---

IN WITNESS whereof the parties hereto have executed this deed on the day and year first hereinbefore appearing.

Signed and Delivered on behalf of the SETTLOR.

Name
Secretary,
Mineral Resources Department,
Government of Chhattisgarh

Witnesses:

(1) Signature: -----------------

Name:

Address:

(2) Signature: -----------------

Name:

Address;

SIGNATURE OF FIRST TRUSTEES

1. Signature: --------------------
   Name:
   Address:
2. Signature: --------------------
   Name:
   Address:
3. Signature: --------------------
   Name:
   Address:
4. Signature: --------------------
   Name:
   Address:
5. Signature: --------------------
   Name:
   Address:
6. Signature: --------------------
   Name:
   Address:
7. Signature: --------------------
   Name:
   Address:
8. Signature: --------------------
   Name:
   Address:
9. Signature: --------------------
   Name:
   Address
10. Signature: --------------------
    Name:
    Address:
11. Signature: --------------------
    Name:
    Address:
12. Signature: --------------------
    Name:
    Address:

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.